रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/98 REGISTERED NO. DL—33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 25, 1998 (वैशाख 5, 1920)
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 25, 1998 (VAISAKHA 5, 1920)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	309
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	355
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	1
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	570
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उप-विधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	391
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	555
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1283
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	71
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

CONTENTS

PAGE

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 309

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 355

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . . . . *

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 579

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 of Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . 391

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs 555

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . . *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 1283

PART IV—Advertisements and Notices issued by private Individuals and private Bodies . 71

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc., both in English and Hindi *

*Pages not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसंगत नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल 1998

सं० 34-प्रेज 98—राष्ट्रपति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री महानन्द टोप्पो, कांस्टेबल,
जरवा प्रोटेक्शन पुलिस पोस्ट,
तिरुर, पोर्ट ब्लेयर ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

23/24 अप्रैल 97 के बीच की रात को अंडमान के जंगलों में रहने वाले 30-35 जर्वाओं नेजखा प्रोटेक्शन पुलिस पोस्ट, तिरुर पर हमला किया । उन्होंने पुलिस पोस्ट की बांस की बनी दीवार को खींचना शुरू किया । श्री महानन्द टोप्पो, कांस्टेबल संतरी ड्यूटी पर था । उन्होंने देखा कि जखा शत्रु, झोंपड़ों में सो रहे उनके साथियों की ओर अपने तीरों के निशाने साध रहे हैं । उन्होंने अपने साथियों को भी चौकन्ना कर दिया । इसी बीच जखाओं द्वारा चलाया गया एक तीर कांस्टेबल टोप्पो की छाती में बायीं ओर लगा । तत्पश्चात दूसरे पुलिस कर्मी उठे और उन्होंने पोजीशन ले ली । गम्भीर रूप से घायल होने के बावजूद श्री टोप्पो ने तीर को बाहर खींचा, और जखाओं पर तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक वे भाग न खड़े हुए ।

इस मुठभेड़ में श्री महानन्द टोप्पो, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक (वीरता) के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है और फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24-4-97 से दिया जाएगा ।

एस० के० शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं 35-प्रेज 98—राष्ट्रपति, गुजरात सरकार के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद
श्री रमन प्रकाश, अपर पुलिस अधीक्षक
जिला पंचमहल, गुजरात

(मरणोपरान्त)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 2-5-1995 को जिला पुलिस अधीक्षक, पंचमहल को सूचना मिली कि एक तेंदुआ तारामकंच गांव में क्रोधोन्माद में है और चार ग्राम वासियों को घायल कर चुका है । उसकी एक घर में घेराबन्दी की गई थी और उस घर के लोग अन्दर ही फंसे रह गये थे । श्री रमन प्रकाश अपर पुलिस अधीक्षक ने स्वेच्छा से यह कार्य करने का बीड़ा उठाया और गांव की ओर दौड़े । वहां पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि जिस कमरे में तेंदुआ है उसकी दीवार में एक महिला फंसी हुई है । तुरन्त विचार-विमर्श करने के बाद पुलिस पार्टी ने छत से कुछ खपरैले हटा कर महिला को सफलतापूर्वक बाहर खींच लिया । इसके बाद तेंदुए को घर से निकालकर दरवाजे के बाहर रखे पिंजरे में लाने के हर संभव प्रयास किये गए । परन्तु तेंदुआ दरवाजे की ओर न आकर महिला को बाहर खींचने के लिए खाली किये गये स्थान से होकर छत से कूद गया । यह देखकर पुलिस पार्टी ने तेंदुए पर गोली चलायी लेकिन वह सुरक्षित बच निकला । तेंदुआ पहले तो तेजी से जंगल की ओर दौड़ा लेकिन अचानक ही वह गांव की ओर मुड़ा और उसने दो पुलिस कर्मियों पर हमला किया । तेंदुए को पुलिस पर हमला करते देख श्री रमन प्रकाश, जो घर के दूसरी ओर खड़े थे, फुर्ती से उन्हें बचाने दौड़ पड़े और अपने अंगरक्षक से अपने पीछे आने को कहा । वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पुलिस कर्मी मदद के लिए चिल्ला रहे हैं । उन्होंने तुरन्त अपने सर्विस रिवाल्वर से तेंदुए पर गोली चलायी । जब उन्होंने दूसरी बार गोली चलानी चाही तो उनकी पिस्तौल बन्द

गई । घायल होने के बाद तेंदुआ क्रोधित हो गया और वह जिला पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक पर झपटा । जिला पुलिस अधीक्षक स्वयं को बचाने में सफल हो गये लेकिन लड़ खड़ा गए और गिर गये । जब श्री रमन प्रकाश ने देखा कि तेंदुआ पुलिस अधीक्षक की ओर बढ़ रहा है तो वे तेजी से उनको बचाने दौड़े । यह देखकर श्री रमन प्रकाश के अंगरक्षक ने तेंदुए पर दो राउन्ड गोलियां चलायीं लेकिन एक गोली श्री प्रकाश के फेफड़ों में घुस गयी और उनकी मृत्यु हो गई ।

एक वीर अधिकारी ने सेवा की उच्च परम्पराओं को बनाये रखने में सर्वोच्च बलिदान दिया ।

इस मुठभेड़ में श्री रमन प्रकाश, अपर पुलिस अधीक्षक, जिला कंचमहल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2-5-95 से दिया जाएगा ।

एम० के० शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 36-प्रैस/98—राष्ट्रपति, हरियाणा सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री मोहिन्दर सिंह, सहायक उप निरीक्षक,
थाना नांगल, जिला अम्बाला

श्री विजय भान कांस्टेबल (मरणोपरान्त)
थाना नागल, जिला अम्बाला

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

14 और 15 दिसम्बर, 1995 के बीच की रात को सहायक उप निरीक्षक, मोहिन्दर सिंह और कांस्टेबल विजय भान ने मतेरी चौक पर पांच व्यक्तियों को ले जाती एक ट्रैक्टर ट्राली देखी जो हिसार की तरफ से आ रही थी । सहायक उप निरीक्षक मोहिन्दर सिंह ने ट्रैक्टर रुकवाया । और कांस्टेबल विजय भान को ट्राली की जांच करने के लिए कहा । जब कांस्टेबल विजय भान ने ट्राली की जांच करनी शुरू की तो ट्राली के पर बैठे एक व्यक्ति ने कांस्टेबल विजय भान पर गोली चलायी तथा दूसरे व्यक्तियों ने उसकी कारबाईन और मैगजीन छीन ली । वे अपने हथियार वापिस लेने के लिए बदमाशों से भिड़ गए लेकिन गोली की गम्भीर चोटों के कारण उनकी वहीं मृत्यु हो गई । स्थिति को भांपकर सहायक उप निरीक्षक मोहिन्दर सिंह ने पोजीशन ली और अपराधियों पर गोलियां चलायीं । दोनों ओर से हुई गोलीबारी में गम्भीर रूप से घायल मे होने के बावजूद सहायक उप निरीक्षक मोहिन्दर सिंह गोली चलाते रहे और अपराधियों का पीछा करते रहे । लेकिन अपराधी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकलने में सफल हो गए । ट्राली में निम्नलिखित विस्फोटक सामग्री बरामद हुई :—

(i) तारकोल आधारित आर० डी० एक्स० केक्स के 54 पैकेट जिनका वजन 16.5 कि० ग्रा० था ।

(ii) लगभग 45 मी० लम्बी मी० टी० एन० फिल्ड वायर

(iii) स्पेडस

(iv) दो मानव बम जेकेटें और अन्य औजार ।

इस मुठभेड़ में श्री मोहिन्दर सिंह, सहायक उप निरीक्षक और (विवंगत) श्री विजय भान, कांस्टेबल, थाना नागल, जिला अम्बाला ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस नियमावली 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15-12-95 से दिया जाएगा ।

एस० के० शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 37-प्रैस/98—राष्ट्रपति, हरियाणा सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री राम गोविन्द,
पुलिस उप अधीक्षक,
टोहाना ।

श्री सूबे सिंह, (मरणोपरान्त)
पुलिस सहायक उप निरीक्षक
हिसार

श्री बलबीर सिंह,
कांस्टेबल
हिसार

श्री रतन सिंह,
कांस्टेबल
हिसार

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

30-3-93 को सूचना मिली कि खूखार आतंकवादी बलविन्दर सिंह उर्फ बुलैट अपने गिरोह के साथ उपस्थित है। लगभग 4.50 बजे अपराह्न पुलिस अधीक्षक, हिसार अपने बल, बुलैट प्रुफ जिप्सी और ट्रैक्टर के साथ रंगोली नाले के नजदीक पहुंचे। तीन पार्टियां बनायी गयीं। पुलिस उप अधीक्षक फतेहाबाद, ने थानेदार फतेहाबाद और थानेदार टोहाना के साथ बांयी दिशा को कवर किया, पुलिस अधीक्षक, आपरेशन ने सहायक पुलिस अधीक्षक और कमाण्डो के साथ दाहिनी दिशा को कवर किया तथा श्री राम गोविन्द दो बुलैट प्रूफ जिप्सियों में पर्सनल स्टाफ के साथ पीछे थे और उन्होंने जिप्सियों को कवरिंग फायर दी। इसी बीच पांच व्यक्तियों को खेतों की तरफ भागते हुए देखा गया। हमला करने वाली मुख्य पार्टी आगे बढ़ी और आतंकवादियों का पीछा करना शुरू किया और उन पर गोलियां चलायी। भागते हुए आतंकवादियों की रफ्तार कम करने के लिए एल० एम० जी० से गोलीबारी की गयी। लगभग 4-5 किलोमीटर तक उनका पीछा किया गया। इसी बीच पुलिस वाहन को इस प्रकार से खड़ा कर दिया गया कि आतंकवादी खेतों और सड़कों में चारों तरफ से घिर गए। अंततः आतंकवादी बलविन्दर सिंह ने खेत के एक किनारे मोर्चा संभाल लिया और पुलिस पर लगातार गोलियों की बौछार करके उनकी गतिविधियों को नियंत्रित कर दिया। पुलिस अधीक्षक हिसार और थानेदार फतेहाबाद श्री उदय सिंह निरीक्षक के साथ आकर मिल गए, वे बुलैट प्रूफ जिप्सी में बैठ गए जो वहां फंस गयी, और जब कार्मिक उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो उन पर गोलियों की बौछार की गयी। श्री उदय सिंह ने आतंकवादी की वास्तविक पोजीशन का पता लगाकर इस पार्टी के अन्य कार्मिकों से सिर झुकाए हुए रखने को कहा। कांस्टेबल बलबीर सिंह अपनी जान को जोखिम में डालकर जिप्सी के अन्दर घुस गए और जिप्सी को आतंकवादियों के ऊपर चढ़ा दिया। निरीक्षक उदय सिंह और कांस्टेबल रतन सिंह जिप्सी के अन्दर थे, उन पर आतंकवादियों ने गोलियां चलायी। गोलियों ने जिप्सी को भेद कर निरीक्षक उदय सिंह और कांस्टेबल ड्राइवर बलबीर सिंह को जख्मी कर दिया। कांस्टेबल बलबीर सिंह जिप्सी से बाहर कूद पड़े, जबकि कांस्टेबल रतन सिंह दो आतंकवादियों से भिड़ गए। इसी बीच श्री राम गोविन्द जख्मी ड्राइवर को बचाने के प्रयास में आतंकवादियों की गोलीबारी के सामने आ गए और उन पर गोलियां चलायी गयी लेकिन श्री राम गोविन्द ने विचलित हुए बिना गोलीबारी का जवाब दिया और अपने जीवन को भारी खतरे में डालकर बलविन्दर सिंह पर गोली चलायी। सहायक उप निरीक्षक अजायब सिंह ने भी उस पर गोली चलायी। इस मुठभेड़ में बलविन्दर सिंह उर्फ बुलैट और तरसेम सिंह मारे गए। गोलीबारी में जख्मी होने के कारण सहायक उप निरीक्षक सूबे सिंह ने दम तोड़ दिया। दूसरे आतंकवादी सुखदीप सिंह का शव अगले दिन बरामद किया गया जबकि दो अन्य आतंकवादी अंधेरे का लाभ उठा कर भागने में सफल हो गए। बलविन्दर सिंह, 100 से अधिक निर्दोष व्यक्तियों की हत्याओं के संबंध में 40 से अधिक हत्याओं के मामलों में संलिप्त था तथा उसके सिर पर 5 लाख रु० का इनाम था। घटना स्थल से एक राइफल, अमरिका निर्मित एक .22 माऊजर, एक 7.62 राइफल, एक ए० एल० आर० राइफल, एक .38 बोर रिवाल्वर और बड़ी मात्रा में गोला-बारुद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री राम गोविन्द, सूबे सिंह, बलबीर सिंह और रतन सिंह ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य पराणयता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता 30-3-93 से दिया जाएगा।

एस० के० शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 38-प्रेज/98—राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश सरकार के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री मस्त राम, हैड कांस्टेबल, (मरणोपरान्त)
जिला—कांगड़ा

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 24-1-97 को पिस्तौलों से लैस तीन आतताइयों ने पालमपुर उप-मंडल में ठाकुर द्वारा गांव के पास एक पेट्रोल पम्प को लूटने का प्रयास किया। उन्होंने किन्ही ज्ञान सिंह का स्कूटर छीना जिसे वे बस स्टैंड के पास छोड़ गए। स्कूटर छोड़ने के बाद वे तीनों अपराधी मुख्य सड़क के नीचे एक लेन की ओर दौड़े। इसी बीच, हैड कांन्टेबल मस्तराम, जो न्यायालय सम्बन्धी कार्य निपटा कर थाने में पहुंचे ही थे, को लूटपाट के प्रयास और अपराधियों के भाग जाने के बारे में मालूम हुआ और वे अपराधियों का पीछा करने में अपने साथियों की मदद करने के लिए तुरन्त ही थाने से बाहर आ गए। अनुकरणीय तत्परता और कर्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए और शस्त्र तथा गोलाबारुद की प्रतीक्षा किये बिना, वे तत्काल एक ऐसे छोटे रास्ते से लुटेरों का पीछा करने के लिए निकल पड़े जो उस लेन, जिससे अपराधी जा रहे थे, को काटता था। उन्होंने थाने के समीप ही अपराधियों को ढूंढ लिया लेकिन जब उन्होंने, उन्हें दबोचने और उनमें से एक को पकड़ने का प्रयास किया तो उनमें से एक ने गोली चलाकर उन्हें घटनास्थल पर ही मार दिया। श्री मस्तराम ने कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) श्री मस्तराम, हैड कांस्टेबल, जिला कांगड़ा ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24-1-97 से दिया जायेगा।

एस० के० शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 39-प्रेज/98—राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और पद

श्री फारूक खान, पुलिस अधीक्षक

श्री आर० के० जाल्ला, पुलिस उप-अधीक्षक, श्रीनगर

श्री जी० एस० भाऊ, निरीक्षक श्रीनगर

श्री अमानुल्लाह खान, उप निरीक्षक
13 वीं बटालियन, जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस

श्री बलविन्दर सिंह, कांस्टेबल
8वीं बटालियन, जम्मू और कश्मीर सशस्त्र पुलिस

श्री मो० याकूब, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 24-3-1996 को, गैर-कानूनी जे० के० एल० एफ० गुट के कुछ उग्रवादी अपने शस्त्रों के साथ घाटी में एक पूजा स्थल में घुस गए। इस क्षेत्र को आतंकवादियों से मुक्त कराने के उद्देश्य से जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, श्रीनगर के एस० ओ० जी० द्वारा एक आपरेशन चलाने का निर्णय लिया गया। एस० ओ० जी० श्रीनगर, जो श्री फारूक खान, पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) की कमान में कार्य कर रहा था, को सख्त दिशा-निर्देश जारी किये गये कि इस आपरेशन के दौरान पूजा स्थल को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। 30 मार्च, 1996 को श्री खान, पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) ने, उचित योजना बनाकर और तैयारी करके, लक्षित छिपने के दोनों ठिकानों को घेर लिया। पूजा स्थल से 60/70 मीटर की दूरी पर स्थित छिपने के दोनों ठिकानों को घेरने के पश्चात बार-बार घोषणा करके उग्रवादियों से छुपने के ठिकानों से बाहर आ जाने और पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा गया। बार-बार की गई घोषणाओं के परिणामस्वरूप छुपे हुए उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तीन महिलायें और तीन बच्चे जिन्हें शिविर में बंधक बनाकर रखा गया था, भी इस अवसर का लाभ उठाकर बाहर निकल आये। लेकिन इस मौके पर छिपे हुए आतंकवादियों में से कुछ कट्टर आतंकवादियों ने उनमें से किसी को भी बाहर आने से रोकने के लिए गोलियां चलायी। अत्यधिक धैर्य रखते हुए आपरेशन प्रभारी ने पुनः उनसे कहा कि वे गोलीबारी बन्द करें क्योंकि इसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन आतंकवादी अपने स्वचालित हथियारों से गोली चलाते रहे। तत्पश्चात् छापामार पार्टी को दो ग्रुपों में बांटा गया। एक ग्रुप को हथगोलों और राइफल से आतंकवादियों के छिपने के ठिकानों पर हमला करना था और दूसरे ग्रुप को दोनों ओर से कवरिंग फायर उपलब्ध करानी थी और आतंकवादियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए रखना था। निरीक्षक जी बी० भाऊ के नेतृत्व में पहली पार्टी को हमला करने वाली पार्टी के लिए कवरिंग फायर उपलब्ध करने के लिए तैनात किया गया था। जब पहली पार्टी लक्षित स्थल पर पहुंची तो उसने कुछ हथगोले अन्दर फेंके। हथगोलों के फटने से दो आतंकवादी घटनास्थल पर ही मारे गये और दूसरों ने अपनी-अपनी अनुकूल पोजीशन बदल ली तथा वे घर के दूसरे भागों में आड़ लेने के लिए मजबूर हो गये। श्री सिंह, अपनी जान की परवाह किये बिना अपने साथियों के साथ छिपने के ठिकाने के अन्दर घुसे। श्री खान और उनकी पार्टी जिसमें सर्व श्री आर० के० जाल्ला, पुलिस उपाधीक्षक, बलविन्दर सिंह, कांस्टेबल, जी० एस० भाऊ, निरीक्षक, अमानुल्लाह खान, उप निरीक्षक और मो० याकूब, कांस्टेबल शामिल थे, छिपने के ठिकाने में घुस गए जिससे आतंकवादी भौंचके हो गए इससे पहले कि वे छापा-मार पार्टी को कोई नुकसान पहुंचाते, वे दोनों ओर से हो रही गोलाबारी में मारे गये।

पहले छिपने के ठिकाने को नष्ट करने के बाद दूसरे ठिकाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया जिसकी अच्छी तरह मोर्चेबन्दी की गई थी। छुपे हुए आतंकवादियों से पुनः कहा गया कि वे आत्मसमर्पण कर दें लेकिन उन्होंने जवाब में हथगोले फेंके और गोलियां चलायी। श्री खान के निर्देशानुसार, श्री आर के जाल्ला के नेतृत्व में पूर्व की ओर तैनात दस्ता भी इस टीम में शामिल हो गया और उस दिशा को भी सुरक्षित करने में उनकी मदद की। श्री जी० एस० सिंह, निरीक्षक और अन्य के साथ श्री आर० के० जाल्ला पुलिस, उपाधीक्षक चलती हुई जिप्सी की आड़ में उस घर के निकट पहुंचे और उन्होंने चीनी हथगोलों से हमला किया और राइफल से गोलीबारी की हथगोलों के फटने से जिप्सी का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया और वह चलने लायक नहीं रही और आतंकवादियों की गोलीबारी ने छापा मार पार्टी को काबू कर लिया। लम्बे समय तक चली गोलाबारी के पश्चात् तीनों दलों के संयुक्त प्रयास के परिणामस्वरूप आतंकवादियों का गढ़ नष्ट हो गया और वहां छुपे हुए सभी 19 आतंकवादियों का सफाया हो गया। मुठभेड़ स्थल से 10 ए० के० राइफल, एक स्निपर राइफल, एक मशीन पिस्तौल, एक राकेट लांचर, एक राकेट, एक 9एम० एम० एस० ए० एफ० कार्बाइन, तीन 303 राइफलें, 15 वायरलेस सेट

एक चीनी हथगोला, 24 ए० के० मैगजीन, ए० के० के० 155 राउन्ड, 8 चीनी पिस्तौलें और एक रिवाल्वर बरामद किए गये ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री फारुक खान, पुलिस अधीक्षक, आर० के० जाला, पुलिस उपाधीक्षक, बलविन्दर सिंह, कांस्टेबल जी० एस० भाऊ, निरीक्षक, अमानुल्लाह खान, उप निरीक्षक और मो० याकूब, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्च-कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम–5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24–3–96 से दिया जायेगा ।

एस० के० शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 40–प्रेज/98—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र सरकार के निम्न-लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री विलास भीखाजी मराठे, निरीक्षक

श्री मिलिन्द भीखाजी खेटले उ० नि०

श्री अब्दुल रउफ गनी शेख, कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

कुछ खूंखार डकैतों के पहुंचने के बारे में 16–8–96 को विश्वस्त सूचना प्राप्त होने के उपरांत, उन्हें पकड़ने के लिए निरीक्षक मराठे के नेतृत्व में एक दल गठित किया गया । श्री वी० बी० मराठे, निरीक्षक ने उप-निरीक्षक, खेटले तथा कांस्टेबल शेख के साथ उस स्थल पर एक जाल बिछाया । लगभग 2.50 बजे अपराह्न में तीन व्यक्तियों को उस स्थान की तरफ जाते हुए देखा गया । पुलिस दल ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन डकैतों ने बदले में उनपर गोलीबारी करके उप-निरीक्षक खेटले को घायल कर दिया । कोई विकल्प न सूझने पर, उन तीनों ने गोलीबारी का जवाब दिया । भागने के प्रयास में, अपराधी एक संकरी गली में घुस गए और पुलिस पर गोलीबारी करते रहे । उनका पीछा करते समय, निरीक्षक, देशमुख तथा उ० नि० परमार भी उनके साथ हो लिए, जिन्होंने अपराधियों पर गोलीबारी की । दोनों तरफ से की जा रही गोलीबारी में, सुरेश यांडे व चन्द्रशेखर पुलिस की गोली लगने से गिर गए और अस्पताल में मृत घोषित कर दिए गए । तथापि, तीसरा अपराधी भागने में सफल हो गया । डकैत सुरेश यांडे के पास से तीन राउंड सक्रिय कारतूसों के साथ-साथ एक पिस्तौल बरामद की गई ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री विलास भीखा जी मराठे, निरीक्षक, मिलिन्द भीखाजी खेटले, उप-निरीक्षक और अब्दुल रउफ गनी शेख, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16–8–96 से दिया जाएगा ।

एस० के० शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 41–प्रेज/98—राष्ट्रपति, मणिपुर सरकार के निम्न-लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री एन० जोतिन सिंह, उप–निरीक्षक, इंफाल

श्री के० देवन सिंह, नायक, इंफाल

(दिवंगत) श्री एल० श्यामसुन्दर सिंह, कांस्टेबल, इंफाल

श्री एस० ज्ञानिल सिंह, कांस्टेबल, इंफाल

श्री ए० गोविन्दरो सिंह, कांस्टेबल, इंफाल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

11–7–96 को श्री एन० जोतिन सिंह, उप-निरीक्षक को सूचना मिली कि कुछ कट्टर पी० एल० ए० उग्रवादी नंबोल थियाम अवांग लिकाई में एक घर में बैठक कर रहे हैं । उन्होंने तुरंत (सर्व/श्री के० देवन सिंह, एल० श्यामसुन्दर सिंह, एस० ज्ञानिल सिंह और ए० गोविन्दरो सिंह को लेकर) एक पार्टी बनाई । पुलिस पार्टी संदिग्ध स्थान की तरफ रवाना हो गई । वहां पहुंचने के बाद इन्होंने तुरंत उस संदिग्ध क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया और भाग निकलने के सभी संभावित रास्ते बंद कर दिए । इस बीच, कांस्टेबल एल० श्यामसुन्दर सिंह ने एक युवक को चोरी–छिपे एक घर में प्रवेश करते देखा । उन्होंने अपने कमांडर को इस बारे में सूचित किया और नायक के० देवन को साथ लेकर उस घर की तरफ बढ़े और घर के अन्दर जो लोग थे उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा । तथापि, परिवार के कुछ सदस्यों को छोड़कर, संदिग्ध व्यक्ति बाहर नहीं आए । इस पर, सर्व/श्री एल० श्यामसुन्दर सिंह और के०देवन सिंह उस घर में घुस गए और तलाशी लेनी शुरू कर दी । अचानक संदिग्ध व्यक्तियों ने घर के एक कोने से अनेक राउंड गोलीबारी की । एक गोली कांस्टेबल एल० श्यामसुन्दर सिंह के माथे पर लगी और उनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । यह देखकर, नायक के० देवन सिंह ने मोर्चा संभाला और अपनी ए० के० 47 राइफल से गोलाबारी की । सार्जेन्ट अपने दो साथियों सहित पीछे के दरवाजे से निकल भागा, नायक देवन सिंह ने परस्पर गोलाबारी के बीच अपराधियों का पीछा किया

तथा अपराधी विभिन्न दिशाओं में भागे । उनमें से एक अपराधी जो दक्षिण की तरफ भागा जा रहा था, उप-निरीक्षक एन० जोतिन सिंह ने उसका पीछा किया । उन्होंने उसे आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी लेकिन वह भागता रहा। अपराधी को रोकने का कोई दूसरा विकल्प न पाकर उप निरीक्षक जोतिनसिंह ने उस अपराधी पर गोली चलाई जिससे वह घायल हो गया और मारा गया । बाद में उसकी पहचान औरबम थोईबा पी० एल० ए० के० एक कट्टर उग्रवादी के रूप में की गई।

2. इस बीच, अन्य दो विद्रोहियों जो पश्चिम दिशा की ओर भाग रहे थे, का पीछा नायक देवन सिंह, कांस्टेबल एस० शानिल और कांस्टेबल ए० गोबिन्दरो सिंह ने किया। भागते हुए अपराधियों ने आत्मसमर्पण के लिए बार-बार दी गई चेतावनी की कोई परवाह नहीं की और पुलिस कार्मिकों पर गोलियां चलाते रहे । पुलिस कार्मिकों ने भी गोलियां चलाई और इस मुठभेड़ में कांस्टेबल गोबिन्दरो सिंह को गोली लगी। एक अपराधी को भी गोली लगी और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया । बाद में इसकी पहचान पी० एल० ए० के स्वयंभू सेकेन्ड लेफ्टिनेंट मैबम केशो के रूप में की गई । मृत अपराधी से 0.38 बोर की एक रिवाल्वर और 4 सक्रिय राउन्ड बरामद किए गए। अन्य अपराधी भागने में सफल हो गए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री एन० जोतिम सिंह, उप निरीक्षक, के० देवन सिंह, नायक (दिवंगत) एल० श्यामसुन्दर सिंह, कांस्टेबल, एस० शानिल सिंह, कांस्टेबल और ए० गोबिन्दरो सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11-7-1996 से दिया जाएगा ।

एस० के० शरीफ,
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 42/98-राष्ट्रपति, नागालैण्ड सरकार के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारी का नाम और पद

श्री एम० वी० चखेसंग
एस० पी० कोहिमा

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

5-3-1995 को राष्ट्रीय राइफल की 16वीं बटालियन की एक कान्वाइ राष्ट्रीय राजमार्ग-39 के रास्ते राजधानी कोहिमा से गुजरते हुए मणिपुर से दिमापुर जा रही थी । कान्वाइ का अगला हिस्सा दिमापुर की तरफ शहर के बाहर छोर पर पहुंच गया था तथा कान्वाइ का पिछला हिस्सा अभी तक मणिपुर की तरफ शहर के अंतिम छोर पर था। लगभग 1.10 अपराह्न का समय था । रविवार का दिन था व शहर के निवासी चर्च में प्रार्थना करके व दोस्तों से मिलकर वापस आ रहे थे । कान्वाइ में यात्रा कर रहे राष्ट्रीय राइफल की 16वीं बटालियन के जवान व अधिकारियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी । कान्वाइ अगले हिस्से से लेकर पिछले हिस्से तक 5 किलोमीटर मार्ग में थी । प्रथम छोर से लेकर अंतिम छोर तक के मार्ग के साथ-साथ गोलीबारी हो रही थी । उस समय श्री एम वी० चखेसंग पुलिस मुख्यालय में स्थित जे सी सी० कक्ष में सेना, अर्द्ध-सैनिक बल तथा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात समन्वय बैठक कर रहे थे । उन्होंने, पुलिस अधीक्षक, कोहिमा के दफ्तर के सामने स्थित पुलिस प्वाइंट के समीप से आती हुई गोलीबारी की पहली आवाज सुनने पर ब्रिगेडियर रमेश नागपाल, डी० आई० जी०, ए० आर० जो एस पी के साथ बैठक में उपस्थित थे, उस स्थान की तरफ रवाना हुए जहां से पहली बार गोलीबारी की आवाज सुनाई पड़ी थी । इस घटना के बारे में टेलीफोन पर डी जी पी० नागालैण्ड को सूचित करके, श्री चखेसंग घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए । रास्ते में श्री चखेसंग ने ब्रिगेडियर नागपाल के साथ कुछ कार्मिकों को यात्रा करते देखा जो उक्त गोलीबारी के कारण घायल हो गए थे तथा जिनके शरीर पर खून के धब्बे थे, जिन्हें दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था । राष्ट्रीय राइफल की 16वीं बटालियन के अधिकारियों में जवानों को अंधाधुंध गोलीबारी में संलिप्त होने तथा रास्ते में नागरिकों को जान से मारते एवं घायल करते देख कर, उन्होंने राष्ट्रीय राइफल की 16वीं बटालियन के जवानों एवं अधिकारियों से गोलीबारी बंद करने का अनुरोध किया जिसका शुरू में कोई असर नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में जब कि सुरक्षा बल कार्मिकों का एक ग्रुप क्रोधाभिभूत होकर अंधाधुंध गोलीबारी करने में लगा हुआ था, यह महसूस करने पर कि अनेक नागरिक मारे जाएंगे, घायल हो जाएंगे, राष्ट्रीय राइफल की 16वीं बटालियन के कार्मिकों और जवानों को गोलीबारी रोकने के लिए मनाने के लिए उस स्थान, जहां से गोलीबारी की जा रही थी के इर्द-गिर्द जाने का निर्णय करना निःसन्देह एक गम्भीर खतरे का काम था । श्री चखेसंग ने यह खतरा लेने का निर्णय लिया और वे राष्ट्रीय राइफल की 16वीं बटालियन के जवानों व अधिकारियों से गोलीबारी रोकने हेतु अनुरोध करने उनके इर्द-गिर्द गए, साथ-ही-साथ उन्होंने ऐसे नागरिक, जो गोलियां लगने के कारण घायल हो गए थे और सड़क के किनारे पड़े पोड़ा से कराह रहे थे को, उस स्थान से हटाना शुरू कर दिया । बाद में नागालैण्ड के डी० जी० पी० भी इस कार्य में उनके साथ हो गए तथा अंधाधुंध गोलीबारी में संलिप्त राष्ट्रीय राइफल की 16वीं बटालियन के जवानों व अधिकारियों को गोलीबारी, जिसके कारण अनेक लोगों की जानें जातीं व अनेक नागरिक घायल

होते, को बंद करने के लिए मनाने में सफल हुए ।

इस मुठभेड़ में श्री एम० बी० चखेसंग, एम० पी० कोहिमा ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5-3-1995 से दिया जाएगा ।

एस० के० शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 43-प्रेज/98—राष्ट्रपति, नागालैण्ड सरकार के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री एस० एस० त्रिपाठी,
अपर पुलिस अधीक्षक,
मोकोकचुंग ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

1-1-1994 को लगभग 14.15 बजे एक ऑयल टैंकर 10,000 लीटर पेट्रोल, पेट्रोल पंप, मोकोकचुंग लाया, जिसमें भूमिगत टैंकों में पेट्रोल भरते समय आग लग गई । पुलिस अधीक्षक, मोकोकचुंग के आदेशानुसार श्री एस० एस० त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक घटनास्थल की तरफ रवाना हुए । लगभग 14.25 बजे वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि टैंकर में आग लगी हुई है और उसमें किसी भी क्षण विस्फोट हो सकता है । अग्नि शमन स्टाफ इस प्रकार की आग पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित नहीं था । नजदीक ही पड़े मोबिल ऑयल ड्रमों में भी आग लग गई तथा उनमें एक-एक करके विस्फोट होने लगे । स्थिति को भांपते हुए, श्री त्रिपाठी ने उपलब्ध पुलिस वालों को आस-पास के निवासियों को तुरंत वह जगह खाली करने की सूचना देने को कहा । श्री त्रिपाठी ने यह निर्णय लिया कि अगर जलते हुए टैंकर को डिपो क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाता है तो भूमिगत टैंकरों में विस्फोट होने से बचाना संभव होगा । इस समय तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक भी एक ट्रक में वहां पहुंच गए । यह निर्णय लिया गया कि इस ट्रक का उपयोग जलते हुए टैंकर को घसीट कर डिपो क्षेत्र से बाहर खिंचकर लाने के लिए किया जाए । श्री त्रिपाठी अपनी जान को खतरे की परवाह न करते हुए जलते टैंकर के पास गए तथा यह सोचने लगे कि किस तरह से इसे बाहर खींचा जाए । चूंकि वाहन गियर में था, श्री त्रिपाठी ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक जवान से लांग कोट मांगा और ड्राईवर के केबिन में बैठ गए और गियर को न्यूट्रल में डाला ताकि जलते हुए टैंकर को खिंचकर बाहर लाया जा सके । श्री त्रिपाठी और कुछ पुलिस वालों को खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश करते देख, पुलिस तथा सी० आर० पी० एफ० के अन्य जवान सहायता के लिए आगे बढ़े ।

जब उपर्युक्त घटनाक्रम चल रहा था, तब यह बताया गया कि डिपो क्षेत्र को भूमिगत पेट्रोल टैंक के उत्तरी दफ्तर को जोड़ने वाली पकड़ी की सीढ़ी में आग लगी है । श्री त्रिपाठी दो पुलिस वालों के साथ तुरंत इस डिपो के पिछवाड़े की तरफ गए, अपने कार्मिकों के साथ दीवार पर चढ़े और उन सीढ़ी को वहां से हटा दिया ।

जलते हुए टैंकर को बाहर निकालते समय यह देखा गया कि भूमिगत टैंकों के ओवर ग्राऊंड वाल्वों ने आग पकड़ ली है । श्री त्रिपाठी ने आग बुझाने की कार्यवाही को देखने वाले युवकों को सहायतार्थ प्रेरित किया । इस पर नागरिकों, सी० आर० पी० एफ० एवं पुलिस कार्मिकों सहित लगभग 150 व्यक्तियों ने नजदीक के निर्माणस्थल से बालू ला-लाकर आग पर काबू पा लिया । सी० आर० पी० एफ०/पुलिस कार्मिक टैंकर को डिपो क्षेत्र से बाहर लाने में सफल हो गए ।

इस कार्रवाई में श्री एस० एस० त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1-1-1994 से दिया जाएगा ।

एस० के० शरीफ,
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 44-प्रेज०/98—राष्ट्रपति, नागालैण्ड सरकार के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

(दिवंगत) श्री एम० बी० प्रधान, हैड कांस्टेबल
विशेष शाखा, कोहिमा ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

21-3-1997 को जब हवलदार, एम० बी० प्रधान डी० आई० जी० (सी० आई० डी०) के कार्यालय में रोकड़ कक्ष की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे, तब लगभग 4.45 बजे अपराह्न दो अज्ञात बदमाश वहां पर आए । बदमाश डी० आई० जी० (सी० आई० डी०) के कार्यालय कक्ष में घुस गए, जहां श्री के० के० बानिक, कार्यालय अधीक्षक फोन

करने गए हुए थे । कमरे में घुसने के बाद, उनमें से एक ने उन पर रिवाल्वर तानते हुए श्री बानिक को नीचे बैठने के लिए कहा। हवलदार प्रधान भी कक्ष में गए और अपनी रिवाल्वर निकाली और बदमाश को नियंत्रित करने का प्रयास किया। बदमाश जिसके पास रिवाल्वर थी, को नियंत्रित करने का अन्य कोई विकल्प न पाकर श्री प्रधान ने अपनी रिवाल्वर से गोली चलाई और उसे मार डाला। इसी बीच, दूसरे बदमाश ने, जिसके पास भी रिवाल्वर थी, हवलदार प्रधान पर गोली चलाई और उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया और भाग गया। दोनों घायल व्यक्तियों को तुरन्त अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृत अपराधी, जिसकी पहचान बाद में एन० एस० सी० एन० (के) के चंपेन थुग लोथा के रूप में की गई, के पास से 6 कारतूसों सहित .38 बोर की एक देशी रिवाल्वर बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में (विवंगत) श्री एम० वी० प्रधान, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार विशेष भत्ता भी दिनांक 21-3-97 से दिया जाएगा ।

ए० के० शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 45-प्रेज/98—राष्ट्रपति, राजस्थान सरकार के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री पी० सी० न्यौला, पुलिस उपाधीक्षक, जिला धौलपुर ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

18-1-1997 को लगभग 2.30 बजे अपराह्न पुलिस उपाधीक्षक, श्री पी० सी० न्यौला को सूचना मिली कि डकैत गोपाल काची अपने साथियों के साथ ग्राम खान सूरजापुर आ रहा है । उन्होंने तुरंत पुलिस अधीक्षक, धौलपुर को कुमुक भेजने के अनुरोध सहित डकैत गिरोह की उपस्थिति के बारे में सूचित किया और साथ ही भरतपुर जिला पुलिस अधिकारियों को भी सूचना दे दी । श्री न्यौला, 2 हैड-कांस्टेबलों तथा 7 कांस्टेबलों के साथ इस गांव की तरफ रवाना हो गए। श्री न्यौला तथा उनकी पार्टी के सदस्यों ने गांव के बाहर एक गोदाम के समीप मोर्चा संभाल लिया । अपराह्न लगभग 7.30 बजे उन्होंने 5-6 व्यक्तियों को चांदनी रात में गांव की तरफ बढ़ते देखा। श्री न्यौला ने उन्हें अपनी पहचान बतलाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इसका उत्तर अंधाधुंध गोलीबारी से दिया। पुलिस ने भी गोलीबारी की। तब तक पुलिस अधीक्षक धौलपुर भी मौके पर पहुंच गए । इस बीच श्री न्यौला ने देखा कि इस गिरोह का एक सदस्य गोदाम के सामने अनुकूल पोजीशन की तरफ रेंग कर बढ़ रहा है। इस पर श्री न्यौला दौड़े और उस स्थान में पोजीशन ले ली तथा डकैतों को इस सुविधाजनक पोजीशन पर कब्जा जमाने से रोकने के लिए वहां से गोलीबारी शुरू कर दी। उसके बाद उनके पास दो कांस्टेबल भी आ गए। डकैतों ने पुलिस दल पर दूसरी बार गोलियों की बौछार की । तब श्री न्यौला बाहर आ गए तथा उन पर आगे से हमला बोल दिया । उसके बाद पुलिस दल ने अपना अंतिम हमला बोल दिया । लगभग एक घंटे तक दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही । उसके बाद डकैतों की तरफ से गोलीबारी बंद हो गई। तलाशी लेने पर 3 डकैतों के शव बरामद हुए, जो की बाद में सरगना गोपाल काची (जो अपहरण, डकैती, लूटपाट, धन ऐंठने तथा हत्या के अनेक मामलों में संलिप्त था) उसका भाई, विजेन्द्र काची तथा शिवसिंह जाटव के रूप में पहचान की गई। तथापि, गिरोह के अन्य सदस्य सरसों के खेत से होकर भाग निकले। तलाशी के दौरान मृत डकैतों के पास से 151 जिंदा कारतूसों समेत एक 9 एम० एम० कारबाईन, 17 कारतूसों सहित .315 बोर की एक राइफल, 21 कारतूसों सहित 12 बोर की दो बंदूकें व 3 एच-ई-36 हथगोले बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में श्री पी० सी० न्यौला, पुलिस उपाधीक्षक, जिला धौलपुर ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18-1-97 से दिया जाएगा।

एस० के० शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 46-प्रेज/98—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री शैलेन्द्र सागर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ ।

श्री लालता प्रसाद त्रिपाठी, उप निरीक्षक, आजमगढ़ ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

4-4-1990 को लगभग 2210 बजे, श्री लालता प्रसाद त्रिपाठी को एक मुखबिर ने सूचित किया कि अवैध हथियारों से लैस 6-7 डकैतों का एक गिरोह आजमगढ़ शहर के मुसेपुर क्षेत्र के डा० राजदेव राम के घर में डकैती डालने की योजना बना रहा

है। उस सूचना के मिलने के तुरंत बाद, श्री त्रिपाठी उपलब्ध पुलिस कार्मिकों के साथ डा० राम के घर की तरफ चल पड़े, तब तक डकैतों ने घर के अन्दर पहले से ही मोर्चा संभाल लिया था और घर के पश्चिमी ओर के एक कमरे से पुलिस दल पर गोलीबारी की। श्री त्रिपाठी ने तुरंत अति सतर्कता के साथ अपने कार्मिकों को मोर्चा संभालने के लिए कहा और डकैतों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा।

घर के बाहर पुलिस कार्मिकों की उपस्थिति भांप कर, डकैतों ने अपना मोर्चा बदल कर घर के उत्तर की तरफ कर लिया और खुले में पुलिस दल पर गोलीबारी करने लगे। इस बीच, श्री त्रिपाठी और उनका दल अपनी जान को जोखिम में डाल कर सावधानी के साथ आगे बढ़ा और उस घर के पश्चिमी तरफ के कमरे में घुस कर मोर्चा संभाल लिया तथा आत्मरक्षार्थ डकैतों पर गोलीबारी करने लगे तथा अपने दल को भी गोलीबारी करने का आदेश दिया। श्री त्रिपाठी ने यह देखते हुए कि स्थिति उनके नियंत्रण के बाहर है कुमुक की मांग की। सूचना प्राप्त होते ही श्री शैलेन्द्र सागर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, तुरन्त घटनास्थल के लिए रवाना हो गए तथा इसी दौरान श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, सी० ओ० सिटी, आजमगढ़ भी घटनास्थल पर पहुंच गए। घर के अन्दर दोनों ओर से रुक-रुक कर गोलीबारी हो रही थी तथा घर में प्रवेश करने पर कुमुक के जीवन को गंभीर खतरा बना हुआ था। जहां पुलिस दल फंसा हुआ था उनके वहां तक पहुंचे बिना कोई कार्रवाई किया जाना संभव नहीं था। श्री सागर तथा श्री ए० के० श्रीवास्तव अपनी जान के खतरे की परवाह किए बिना पुलिस दल के समीप पहुंचने में सफल हो गए तथा स्थिति को अपने नियंत्रण में कर लिया। श्री शैलेन्द्र सिंह ने अपना परिचय देते हुए डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा लेकिन इसके प्रतिउत्तर में डाकुओं ने कमरे के दरवाजों के पीछे से पुलिस पार्टी पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। एक तरफ घनी आबादी का इलाका, होने तथा दूसरी ओर रेलवे प्लेटफार्म पर यात्रियों की वजह से स्थिति और नाजुक बन गयी क्योंकि जल्दबाजी में की गई किसी भी कार्रवाई से बहुत सी जानें जा सकती थीं तथा यह भी पता नहीं था कि डा० राम के परिवार के सदस्य घर के अन्दर ही है अथवा नहीं। श्री शैलेन्द्र सागर तथा उनकी पार्टी एक ऐसी छोटी सी जगह में फंसी हुई थी जहां डाकुओं की फायरिंग सीधे उन पर हो सकती थी जो घर के अन्दर सुरक्षित स्थान पर थे। इससे पुलिस पार्टी विचलित नहीं हुई तथा श्री शैलेन्द्र सागर ने अपनी पार्टी को डाकुओं पर गोलाबारी करने का आदेश दिया। डकैतों ने जब स्वयं को चारों ओर से घिरे हुए देखा, तो उन्होंने भीषण गोलीबारी की आड़ में घर के आंगन की सीढ़ियों से चढ़कर भाग निकलने का निर्णय लिया। श्री शैलेन्द्र सागर, श्री अशोक कुमार और श्री त्रिपाठी ने भागते हुए डकैतों पर बिजली की गति से गोलियां चलाईं और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया क्योंकि उनमें से दो डाकू मारे गए जबकि अन्य अंधेरे का लाभ उठाकर बच कर भाग निकलने में सफल हो गए। मृत दो डाकुओं में से एक की पहचान सूची-बद्ध गिरोह के खूंखार सरगना अशोक सिंह के रूप में की गई जिसकी अनेकों अघम्य अपराधों में तलाश थी तथा दूसरे की पहचान रविन्द्र सिंह के रूप में हुई। मृतकों से 4,111/- रुपये नकद समेत लूटी गई सम्पत्ति, एक लम्बी बैरल, .303 बोर की स्वदेशी पिस्तौल और उसके कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री शैलेन्द्र सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और श्री लालता प्रसाद त्रिपाठी, उप-निरीक्षक, आजमगढ़, ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4-4-90 से दिया जाएगा।

एस० के० शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 47-पेज/98--राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

अधिकारियों के नाम और पद

श्री अशोक कुमार सिंह भदोरिया, कांस्टेबल, 45 वीं बटालियन, पी० ए० सी०।

श्री शिव कुमार, कांस्टेबल, 45वीं बटालियन, पी० ए० सी०।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

26-2-96 को कोकराझाड़ (असम) के बांगतोल और शान्तिपुर क्षेत्रों में तलाशी आपरेशन चलाने हेतु पी० ए० सी० की 45 वीं बटालियन को तैनात किया गया। चार ग्रुपों में विभाजित आपरेशन पार्टी, जिसके प्रत्येक ग्रुप का नेतृत्व एक अधिकारी कर रहा था, अपने-अपने लक्ष्य के लिए रवाना हो गई। करीब 12.30 बजे जब सी० सी० हुकम सिंह के नेतृत्वाधीन पार्टी पी० ए० सी० के ट्रक में सवार होकर भुरथीनाली पर एक पुल पार कर रही थी तो कुछ बोड़ो उग्रवादियों ने उस पर घात लगा कर हमला किया और ट्रक को विस्फोट से उड़ा दिया। परिणामस्वरूप सी०सी० हुकम सिंह और सात अन्य घटनास्थल पर ही मारे गए। कांस्टेबल एस०डी० पाठक घायल हो गए जबकि कांस्टेबल (ड्राइवर) एन० एस० यादव घटनास्थल से बचकर भाग निकलने में सफल हो गए, परन्तु बाद में उनका शव बरामद किया गया। कांस्टेबल ए० के० सिंह और शिव कुमार किसी तरह से बचकर भाग निकले और उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। बोड़ो उग्रवादियों की ओर से स्वचालित शस्त्रों से की जा रही अन्धाधुंध गोलीबारी के बावजूद इन दोनों कांस्टेबलों की प्रभावी गोली-बारी के

कारण उग्रवादी भागने को मजबूर हो गए। घटनास्थल से भारी मात्रा में गोला-बारूद सहित एक स्टेनगन, बरामद की गई। स्थानीय पुलिस के अनुसार, गैर-कानूनी संगठन का एक स्वयं-भू डिप्टी-कमांडर-इन-चीफ घायल हो गया जिसकी घावों के कारण बाद में मृत्यु हो गई।

इस मुठभेड़ में श्री अशोक कुमार सिंह भदौरिया, कांस्टेबल और श्री शिव कुमार, कांस्टेबल, 45वीं बटालियन, पी०ए०सी० ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26-2-96 से दिया जाएगा।

एस० के० शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 48-प्रेज/98:—राष्ट्रपति, पश्चिम बंगाल सरकार के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम और पद

(मरणोपरान्त)।

श्री जे० एन० बिश्वास, सहायक उप निरीक्षक
थाना राजरहाट,
उत्तरी 24 परगना।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 11-3-1995 को दो कांस्टेबलों सहित सहायक उप-निरीक्षक जे० एन० बिश्वास, एक जीप में थाना राजरहाट के छूटो चांदपुर, बिशनुपुर, लाहाटी और शिब्रूरपुर इलाके में रात्रि गश्त पर थे तथा एक अन्य पुलिस पार्टी भी, एक उप निरीक्षक के नेतृत्व में, दो कांस्टेबलों सहित कुमार, भटिण्डा और राजरहाट इलाके में रात्रि गश्त ड्यूटी पर थी। श्री बिश्वास की पार्टी जिस समय लाहाटी क्षेत्र में गश्त लगा रही थी तो उसे करीब 0.45 बजे (12.3.1995) सूचना मिली कि लगभग 10 से 12 डाकुओं का गिरोह शोला-बाड़ी स्थित एक पैट्रोल पम्प में डाका डालने के बाद हरे रंग के एक टाटा मिनी ट्रक में भाग गया है। इसी बीच, उप निरीक्षक के नेतृत्व वाली पार्टी ने बड़ी तेज रफ्तार से लाहाटी जाते हुए एक टाटा ट्रक को देखा। उप निरीक्षक ने तुरन्त इसकी सूचना सहायक उप निरीक्षक बिश्वास को वायरलैस पर दी और उनसे उस ट्रक को रोकने को कहा। उन्होंने स्वयं उस ट्रक का पीछा किया। श्री बिश्वास ने उस वाहन को रोकने के उद्देश्य से एक लारी को सड़क पर खड़ा करके उसके सामने अपनी जीप खड़ी कर दी ताकि डाकू बच कर भाग न सकें। श्री बिश्वास ने सशस्त्र कांस्टेबलों को जीप के पीछे मोर्चा लेने को कहा और स्वयं सर्विस रिवाल्वर हाथ में लेकर जीप के बाईं ओर पोजीशन संभाल ली। करीब 01.10 बजे टाटा ट्रक बड़ी तेज गति से उधर आया तो अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना श्री बिश्वास ने उस वाहन को रोकने का प्रयास किया परन्तु ट्रक वहां नहीं रुका। एक डाकू ने श्री बिश्वास पर गोली चलाई और फिर यह ट्रक श्री बिश्वास से टकराता हुआ तेजी से निकला जिसके परिणामस्वरूप श्री बिश्वास खून से लथ-पथ होकर सड़क पर नीचे गिर गए। उसके बाद डाकुओं के इस ट्रक ने जीप पर बिजली के खम्बे से टक्कर मारी और फिर वहां से तेज गति से बच कर भाग निकले। श्री बिश्वास को शीघ्रता से अस्पताल पहुंचाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) श्री जे० एन० बिश्वास, सहायक उप निरीक्षक थाना राजरहाट, उत्तरी 24-परगना ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11-3-1995 से दिया जाएगा।

एस० के० शरीफ,
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 49-प्रेज/98:—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री राम चन्द्र,
उप निरीक्षक,
130वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री बीरबल सिंह, हैड कांस्टेबल, (मरणोपरान्त)
130वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री आर० पल्लम, नायक
130वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री आ० मुथू कुमार, कांस्टेबल, (मरणोपरान्त),
130वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सतीश कुमार, जल-वाहक,
130वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

6-8-1995 को लगभग 0040 बजे, अधुनातम हथियारों से लैस उग्रवादियों के एक ग्रुप ने कलाईगांव, दारांग जिला, में स्थित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कैम्प पर हमला किया।

और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों को मारने और शस्त्र और गोलाबारूद लूटने की कोशिश की। वहां पर तीन कैम्प गार्ड थे, एक पश्चिम दिशा में सड़क की तरफ और अन्य दो गार्ड भवन के दूसरे क्षेत्र में गश्त पर थे। श्री के० मुथु कुमार, कांस्टेबल जो उत्तरी दिशा की तरफ गश्त लगा रहे थे, पर लगभग 50 गज दूर से एकदम से गोलियों की पहली बौछार हुई। उन्होंने अपनी एस० एल० आर० से तुरन्त जवाबी गोली बारी की। हालांकि, दाहिने हाथ पर गोली लगने से वे गम्भीर रूप से घायल हो गये थे, फिर भी उन्होंने चिल्लाकर अन्य लोगों को सावधान कर दिया और गोली-बारी भी जारी रखते हुए वे रेंगते हुए अपने प्लाटून कमाण्डर के कमरे की तरफ गये। गोलीबारी और चिल्लाने की आवाज सुनकर श्री बीरबल सिंह, हैड कांस्टेबल ने सभी गार्डों को सावधान किया और अपने हाथियारों से गोलीबारी का जवाब दिया तथा भवन की उत्तरी दिशा में उग्रवादियों को उलझाए रखा। जबरदस्त मुकाबले को देखते हुए आतंकवादियों ने तीन राकेट छोड़े जिन्होंने पहली दीवार को भेदा, दूसरा दूसरी दीवार से टकराया और इसके पीछे का हिस्सा श्री बीरबल सिंह के सिर को छूते हुए निकल गया। इस गम्भीर जख्म से अविचलित, श्री सिंह ने श्री आर० नल्लन, नायक को आदेश दिया कि वह एल० एम० जी० और एस० एल० आर० से गोलियां चलाकर भवन के दक्षिणी हिस्से को कवर करे। श्री सिंह ने श्री नल्लन को 2" मोर्टार का इस्तेमाल करने के लिये भी कहा। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे गार्ड कार्मिकों का मार्गदर्शन और कमान करते रहे लेकिन इस दौरान उन्हें एक गोली लगी और बाद में जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया श्री आर० नल्लन ने मोर्टार लिया लेकिन बम कांटे में थे, जो भवन के एक किनारे पर था। कांटे और वहां तक जाने के रास्ते पर आतंकवादी खुली खिड़कियों और दरवाजों से भारी गोलीबारी कर रहे थे। श्री सतोष कुमार, जल-वाहक, अपनी जान को गम्भीर खतरे में डालकर, गोलीबारी के बीच रेंगते हुए कांटे की तरफ गये और बम निकाल लाये और उसे श्री नल्लन को दे दिया। श्री नल्लन एक खुली जगह पर गये और भवन के उस पार, उत्तरी दिशा की ओर बम फैंका, जहां से उग्र-वादियों द्वारा राकेट दागे जा रहे थे। सड़क की तरफ से श्री राम चन्द्र, उप-निरीक्षक, हमलावरों को दूर रखते रहे। श्री चन्द्र ने अपनी एस० एल० आर० निकाली और एक खिड़की से हमलावरों को प्रभावी ढंग से उलझाये रखा। उन्होंने कुमुक मगवाने के लिये अपने कम्पनी मुख्यालय को भी संदेश भेजा। इसी बीच, उन्हें भी आतंकवादी की गोली लगी, लेकिन वे अपने जवानों का मनोबल बढ़ाकर उनका उत्साह बढ़ाते रहे। 35 मिनट तक चले घमासान युद्ध के बाद, उग्रवादी अन्धेरे की आड़ में भाग गए।

इस मुठभेड़ में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 130वीं बटालियन के श्री राम चन्द्र, उप निरीक्षक (दिवंगत) श्री बीरबल सिंह, हैड कांस्टेबल, आर० नल्लन, नायक, (दिवंगत) श्री के० मुथु कुमार, कांस्टेबल और श्री सतोष कुमार, जल-वाहक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 6-8-95 से दिया जाएगा।

एस० के० शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 50-प्रेज 98—राष्ट्रपति, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद	
श्री के० सी० राय,	(मरणोपरान्त)
नायक,	
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।	

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

10-9-1996 को सर्व/श्री के० सी० राय और एम० एस० कदम को असम में एक 400 किलोवाट सब-स्टेशन में 05.00 बजे से 13.00 बजे तक गश्त ड्यूटी पर तैनात किया गया था। लगभग 05.45 बजे, वे स्टेशन के अन्दर उग्रवादियों द्वारा लगायी गई घात के शिकार हुए। श्री कदम की पीठ पर कुछ गोलियां लगी लेकिन वे बच गए। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री कदम ने उग्रवादियों पर गोलियां चलायी और एक उग्रवादी को गम्भीर रूप से जख्मी कर दिया। श्री राय पर गोलियों की भारी बौछार हुई। एक गोली उनकी एस० एल० आर० के लकड़ी के कुन्दे के निचले हिस्से से पार हो गयी जिससे उनका घुटना जख्मी हो गया। श्री राय ने तुरन्त गोलियों का जवाब दिया। अचानक एक उग्रवादी बाहर आया और अपनी स्टेनगन से गोलियां चलाने लगा। अपनी जान की परवाह न करते हुए श्री राय तुरन्त उग्रवादी की तरफ बढ़े और उसे दबोच लिया। इस गुत्थमगुत्था में श्री राय उग्र-वादी की गर्दन गोली से जख्मी करने में कामयाब हो गए। इसी बीच दूसरे उग्रवादी ने श्री राय के सिर पर गोली चला दी। श्री राय और उग्रवादी दोनों ही जमीन पर गिर पड़े। श्री कदम ने अन्य उग्रवादियों को उलझाऐ रखा और उन्हें अपने छोटे से गश्ती दल पर हावी नहीं होने दिया। सर्वश्री राय और कदम के कड़े मुकाबले का सामना करने में असमर्थ उग्रवादी, श्री कदम द्वारा घायल किए गए उग्रवादी को घसीटते हुए घटनास्थल से भाग खड़े हुए। सर्व/श्री राय और कदम को तत्काल अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्होंने कर्तव्यवेदी पर अपने जीवन न्यौछावर कर दिए। घटनास्थल से एक स्टेनगन 9 एम० एम० राऊन्ड के 25 सक्रिय कारतूसों

के साथ भरी हुई दो मैगजीने, एक 8" कटार बरामद की गयी ।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) श्री के० सी० राय, नायक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10-9-1996 से दिया जाएगा ।

एस० के० शरीफ,
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 51-प्रेज 98--राष्ट्रपति, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

अधिकारी का नाम और पद

श्री एम० एस० कदम,
नायक,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

10-9-1996 को सर्वश्री के० सी० राय और एम० एस० कदम को असम में एक 400 किलोवाट सब-स्टेशन में 05.00 बजे से 13.00 बजे तक गश्त ड्यूटी पर तैनात किया गया था । लगभग 05.45 बजे, वे स्टेशन के अन्दर उग्रवादियों द्वारा लगायी गयी घात के शिकार हुए। श्री कदम की पीठ पर कुछ गोलियां लगी लेकिन वे बच गए । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री कदम ने उग्रवादियों पर गोलियां चलायी और एक उग्रवादी को गम्भीर रूप से जख्मी कर दिया । श्री राय पर गोलियों की भारी बौछार हुई । एक गोली उनकी एस० एल० आर० के लकड़े के कुन्दे के निचले हिस्से से पार हो गयी जिससे उनका घुटना जख्मी हो गया । श्री राय ने तुरन्त गोलियों का जबाव दिया । अचानक एक उग्रवादी बाहर आया और अपनी स्टेनगन से गोलियां चलाने लगा । अपनी जान की परवाह न करते हुए श्री राय तुरन्त उग्रवादी की तरफ बढ़े और उसे दबोच लिया । इस गुत्थम-गुत्था में श्री राय उग्रवादी की गर्दन गोली से ज़ख्मी करने में कामयाब हो गए । इसी बीच दूसरे उग्रवादी ने श्री राय के सिर पर गोली चला दी । श्री राय और उग्रवादी दोनों ही जमीन पर गिर पड़े । श्री कदम ने अन्य उग्रवादियों को उलझाए रखा और उन्हें अपने छोटे से गश्ती दल पर हावी नहीं होने दिया । सर्वश्री राय और कदम के कड़े मुकाबले का सामना करने में असमर्थ उग्रवादी, श्री कदम द्वारा काबू किए गए उग्रवादी को घसीटते हुए घटनास्थल से भाग खड़े हुए । सर्वश्री राय और कदम को तत्काल अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्होंने कर्तव्यवेदी पर अपने जीवन न्यौछावर कर दिए । घटनास्थल से एक स्टेनगन, 9 एम० एम० राऊन्ड के 25 सक्रिय कारतूसों के साथ भरी हुई दो मैगजीने, एक 8" कटार बरामद की गयी ।

इसस मुठभेड़ में श्री एम० एस० कदम, नायक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10-9-1996 से दिया जाएगा ।

एस० के० शरीफ,
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 52-प्रेज/98-राष्ट्रपति, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

अधिकारियों के नाम और पद :

श्री प्रमोद मजगान, (मरणोपरान्त)
उप-निरीक्षक,
19वीं बटालियन,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस ।

श्री किशन राम, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
19वीं बटालियन,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 6-7-1996 को सूचना मिली कि हिजबुल मुजाहिद्दीन ग्रुप के कुछ कट्टर आतंकवादी थाना कोकरनाग के अन्तर्गत सरमी वाहिक में सक्रिय हैं । तदनुसार आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए एक आपरेशन चलाने की योजना बनाई गई । वहां पहुंचकर हमला करने वाली पार्टी ने उस क्षेत्र का खोजा लेकिन वहां आतंकवादियों की कोई गतिविधि हलचल नजर नहीं आयी । लौटते समय विशिष्ट सूचना मिली कि एच० यू० ए० (हरकत-उल-अंसार) के लस्कर-ए-तोईबा के लगभग पांच आतंकवादी गांव डांडीपुरा में घने जंगलों में वाहिकों/अस्थायी छप्पर में ठहरे हुए हैं जहां गुज्जर बकरवाल भी अपने पशु झुण्ड लेकर रह रहे हैं । पुलिस पार्टी ने इस खुले स्थान को घेर लिया । कुछ गुज्जरों ने वाहिकों में छिपे आतंकवादियों को सतर्क कर दिया । उन्होंने पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाना शुरू किया और आंख बचाकर निकटस्थ घने जंगल में जा घुसे ।

पुलिस पार्टी ने स्वयं को तीन ग्रुपों में बांट कर भागते हुए आतंकवादियों का पीछा किया । श्री प्रमोद और किशन राम ने पोजीशन ली और दूसरों को कवरिंग फायर उपलब्ध करने का आदेश दिया । आतंकवादियों ने जब यह देखा कि पुलिस पार्टी ने उन्हें घेर लिया है तो उन्होंने अन्धाधुन्ध गोलियां चलानी शुरू कर दी जिसके जबाव में पुलिस पार्टी ने भी आत्म रक्षा में गोलियां चलायी । इस मुठभेड़ के दौरान आतंकवादियों ने हथगोले फेंके और अपने स्वचालित हथियारों से भारी गोलाबारी की । दुर्भाग्यवश, हथगोले की किरचें सर्वश्री सजवान और किशन राम के माथे पर लगी जो कवर से गोलियां चला रहे थे । इसके परिणामस्वरूप श्री किशन की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गयी और श्री सजवान अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही स्वर्ग सिधार गए ।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) श्री प्रमोद सजवान, उप-निरीक्षक और (दिवंगत) श्री किशन राम, कांस्टेबल, 19वीं बटालियन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 6-7-1996 से दिया जाएगा ।

एस० के० शरीफ,
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 53-प्रेज 98—राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री नैन सिंह,
नायब सूबेदार,
असम राइफल्स ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 10 अगस्त, 1996 को 0200 बजे श्री नैन सिंह गांव बुरापाश, उत्तरी श्रीनगर में मुठभेड़ और तलाशी आपरेशन पर जा रही एक प्लाटून का नेतृत्व कर रहे थे । लगभग 830 बजे जब प्लाटून ने मुख्य गांव की तलाशी लेनी शुरू की तो आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलायी । श्री सिंह और उनकी पार्टी ने आतंकवादियों का पीछा किया, जो एक तीन मंजीले कंक्रीट के बने घर में घुस गये थे और गोलियां चला रहे थे । श्री सिंह ने स्थिति को भांप लिया और घर को प्रभावी ढंग से घेर लिया तथा जवाबी गोलाबारी करके उन्हें उलझाए रखा । उन्होंने कम्पनी कमाण्डर से कुमुक का भी अनुरोध किया । 11 अगस्त को लगभग 10.00 बजे श्री सिंह और स्थानीय ग्रामीणों ने आतंकवादियों से आत्मसमर्पण करने को कहा लेकिन आतंकवादियों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया । ग्रामीणों ने उस घर को आग लगा दी । जब आग ऊपर की मंजिलों में फैलने लगी तो दो आतंकवादियों ने घर के पिछवाड़े वाली खिड़की से कूदकर बचकर भाग निकलने का प्रयास किया । श्री सिंह ने आतंकवादियों का पीछा किया और भागते हुए आतंकवादी को घटनास्थल पर ही मार गिराया । इस मुठभेड़ में, 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों समेत 5 आतंकवादी मारे गये । निम्नलिखित शस्त्र और गोला-बारूद बरामद किये गये :— 4 ए० के० 56 राइफलें, मैगजीन के साथ एक 9 एम० एम० पिस्तौल, 16 ए० के० 56 मैगजीन, ए० के० 56 का 222 राऊण्ड गोलाबारूद, 4 राऊण्ड स्निपर/पी० आई० के० ए०, 2 गोलाबारूद पिस्तौल, 2 रेडियो सेट कैरियड, 2 इम्प्रोवाइज्ड डिवाईस सर्किट एवं कुछ डायरियां तथा दस्तावेज ।

इस मुठभेड़ में श्री नैन सिंह, नायब सूबेदार, असम राइफल्स ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए जा रहा है और फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10-8-1996 से दिया जाएगा ।

एस० के० शरीफ,
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 54-प्रेज/98—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री पी० एच० यादव, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
54वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

सीमा सुरक्षा बल के एक गश्ती दल ने 16-6-1996 को 08.20 बजे बटपुरा/खानपुरा से गुजरते हुए एक उग्रवादी को देखा जो उस पर ग्रेनेड फेंकने ही वाला था । इससे पहले कि वह उग्रवादी ग्रेनेड का पिन निकालता, कांस्टेबल परमहंस यादव उग्रवादी पर झपट पड़े और उसे पकड़ लिया जिससे उनके बीच हाथापाई होने लगी । पिन निकालने से पहले ही यादव ने उस उग्रवादी से ग्रेनेड झपट लिया । कांस्टेबल ए० के० यादव जो श्री पी० एच० यादव

के पीछे-पीछे था, अपने साथी के साथ हाथापाई की आवाज सुनकर, तुरन्त उसकी मदद के लिए दौड़ा । इसी बीच, अन्य विद्रोही भी सामने आ गए और मकानों और पहाड़ों की आड़ में उस लेन की दिशा में गोलियां चलानी शुरू कर दी जहां पर श्री पी० एच० यादव उग्रवादी के साथ भिड़ रहे थे । श्री ए० के० यादव ने तुरन्त मोर्चा सम्भाला और जवाबी गोलीबारी करने लगे । इस दौरान उस उग्रवादी को जो हथगोला फेंकने ही वाला था गोली लगी और वह मर गया । श्री पी० एच० यादव भी विद्रोही द्वारा चलायी गयी गोली से जख्मी हो गये और वे गिर पड़े तथा उनकी भी मृत्यु हो गयी । अतिरिक्त कुमुक के साथ सीमा सुरक्षा बल की गश्ती दल ने गांव में विद्रोहियों का पीछा किया और उनमें से चार को मार गिराया । तीन विद्रोहियों ने, यह देखने पर कि बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं है, अपने हथियार डाल दिए और सीमा सुरक्षा बल के गश्ती दल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया । कुछेक अन्य उग्रवादी, निर्मित क्षेत्र, घने पेड़-पौधों और पहाड़ियों तथा सहायक गोलीबारी की आड़ में बचकर भाग निकलने में सफल हो गए । मारे गए उग्रवादियों के शवों से निम्नलिखित शस्त्र और गोलाबारूद बरामद किया गया :—

(क)	स्नीफर राईफल जिस पर ए० बी० डी० सहित टेलि-स्कोप लगा हुआ था	1 नग विदेश निर्मित
(ख)	स्नीफर राईफल मेगजीन	1 नग
(ग)	स्नीफर राईफल गोला बारूद	6 राउन्ड
(घ)	ए० के० 56, श्रेणी की राईफलें	2 नग
(ङ)	मेगजीनें, ए० के० 56 राईफल	10 नग
(च)	ए० के० श्रेणी का गोला-बारूद	132 राउन्ड
(छ)	पिस्तोल मेगजीन	1 नग
(ज)	पिस्तोल गोलाबारूद	8 राउन्ड
(झ)	वायरलैस सेट (जापान निर्मित)	2 नग
(ञ)	ग्रेनेड	5 नग
(ट)	डिटोनेटर इलैक्ट्रिक	4 नग

बाद में सम्पूर्ण क्षेत्र की तलाशी करने पर, उन घरों से, जहां से उग्रवादियों ने गोलियां चलायी थीं,, ए० के० श्रेणी के गोलाबारूद/स्नीफर राईफल के 30 ई०० एफ० सी० बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री पी० एच० यादव, कांस्टेबल, 54वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16-6-1996 से दिया जाएगा ।

एस० के० शरीफ,
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 55-प्रेस/98—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री लक्ष्मी नारायण, कांस्टेबल
छठी बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

20 जनवरी, 1997 को, एक गश्ती दल को इस्माईल नामक खूंखार उग्रवादी, जो गांव नारूपुरा (जम्मू और काश्मीर) में अपनी प्रेमिका के पास जाया करता था, की गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त हुई । जब यह दल उसकी प्रेमिका के घर पहुंचा तो इसने पड़ौस के घर में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी । इस दल ने उस घर को घेर लिया । जब तलाशी जारी थी तो श्री लक्ष्मी नारायण कांस्टेबल सीढ़ी के सहारे मकान की अटारी तक पहुंच गए । उग्रवादी जो लकड़ी के तख्ते के पीछे छपा हुआ था, ऊपर उठा और श्री नारायण पर गोली चला दी, और श्री नारायण बाएं हाथ और पेट के बांई ओर गोली लगने से जख्मी हो गए । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए ये अपने दाएं हाथ से उग्रवादी पर तब तक गोली-बारी करते रहे जब तक कि उग्रवादी गम्भीर रूप से घायल नहीं हो गया । उग्रवादी के गोली लगने के कारण वह अटारी से पहली मंजिल पर नीचे गिर गया । सीमा सुरक्षा बल के अन्य कार्मिकों ने भी खूंखार उग्रवादी पर गोलियां चलायी । गोली-बारी के दौरान, उग्रवादी की जेब में रखा हथगोला भी फट गया और घायल उग्रवादी घटना-स्थल पर ही मारा गया ।

घटनास्थल से एक ए० के०-56 राइफल, 3 मैगजीन, 62 चक्र गोलियां, 3 छोटी डायरियां, 03 आडियो कैसेट, कुछ क्षतिग्रस्त फोटोग्राफ और नेगेटिव बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में श्री लक्ष्मी नारायण कांस्टेबल, छठी बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20-1-97 से दिया जाएगा ।

एस० के० शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 56-प्रेज०/98—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री ए० के० यादव, कांस्टेबल,
54वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

सीमा सुरक्षा बल के एक गश्ती दल ने 16-6-96 को 08-20 बजे बटपुरा खानपुरा से गुजरते हुए उग्रवादी को देखा जो उस पर ग्रेनेड फेंकने ही वाला था। इससे पहले कि वह उग्रवादी ग्रेनेड का पिन निकालता कांस्टेबल परमहंस यादव उग्रवादी पर झपट पड़े और उसे पकड़ लिया जिससे उनके बीच हाथापाई होने लगी। पिन निकालने से पहले ही यादव ने उस उग्रवादी से ग्रेनेड झपट लिया। कांस्टेबल ए० के० यादव जो श्री पी० एच० यादव के पीछे-पीछे था, अपने साथी के साथ हाथापाई की आवाज सुनकर, तुरन्त उसकी मदद के लिए दौड़ा। इसी बीच, अन्य विद्रोही भी सामने आ गए और मकानों और पहाड़ों की आड़ में उस लेन की दिशा में गोलियां चलानी शुरू कर दीं जहां पर श्री पी० एच० यादव उग्रवादी के साथ भिड़ रहे थे। श्री ए० के० यादव ने तुरन्त मोर्चा सम्भाला और जबाबी गोलीबारी करने लगे। इस दौरान उस उग्रवादी को जो हथगोला फेंकने ही वाला था गोली लगी और वह मर गया। श्री पी० एच० यादव भी विद्रोही द्वारा चलाई गई गोली से जख्मी हो गए और वे गिर पड़े तथा उसकी भी मृत्यु हो गई। अतिरिक्त कुमुक के साथ सीमा सुरक्षा बल के गश्ती दल ने गांव में विद्रोहियों का पीछा किया और उनमें से चार को मार गिराया। तीन विद्रोहियों ने, यह देखने पर कि बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं है, अपने हथियार डाल दिए और सीमा सुरक्षा बल के गश्ती दल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कुछेक अन्य उग्रवादी, निर्मित क्षेत्र, घने पेड़-पौधों और पहाड़ियों तथा सहायक गोला-बारी की आड़ में बचकर भाग निकलने में सफल हो गए। मारे गए उग्रवादियों के शवों से निम्नलिखित शस्त्र और गोलाबारूद बरामद किया गया :—

क) स्नीफर राईफल जिस पर ए० बी० डी० सहित टेलिस्कोप लगा हुआ था	1 नग विदेश निर्मित
ख) स्नीफर राईफल मेगजीन	1 नग
ग) स्नीफर राईफल गोला बारूद	6 राउन्ड
घ) ए० के० 56, श्रेणी की राईफलें	2 नग
ङ) मेगजीन, ए० के० 56 राईफलें	10 नग
च) ए० के० श्रेणी का गोला-बारूद	132 राउन्ड
छ) पिस्तौल मेगनीज	1 नग
ज) पिस्तौल गोला-बारूद	8 राउन्ड
झ) वायरलैस सेट (जापान निर्मित)	2 नग
ञ) ग्रेनेड	5 नग
ट) डिटोनेटर इलैक्ट्रिकल	4 नग

बाद में सम्पूर्ण क्षेत्र की तलाशी करने पर, उन घरों से, जहां से उग्रवादियों ने गोलियां चलाई थीं, ए० के०, श्रेणी के गोला-बारूद स्नीफर राईफल के 30 ई० एफ० सी० बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री ए० के० यादव, कांस्टेबल, 54 वी बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली, के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16-6-96 से दिया जाएगा।

एस० के० शरीफ,
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 57-प्रेज०/98—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री श्याम बिहारी सिंह, सूबेदार
162वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

श्री वी० के० आर्य, उप निरीक्षक,
162वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

श्री सुभाष चन्द्र कालाई, नायक,
162वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

श्री अशोक कुमार, कांस्टेबल
162वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

श्री सिक्न्दर सिंह, कांस्टेबल,
162वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

श्री राजवीर सिंह कांस्टेबल,
162वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

यह सूचना प्राप्त होने पर कि पहले हुई एक मुठभेड़ में जख्मी एक विद्रोही कुम्मारी गांव में छिपा हुआ है, उस क्षेत्र की तलाशी लेने के लिए 4-7-96 को एक टुकड़ी तैनात की गई। छिपने के स्थान के नजदीक पहुंचने पर श्री एस० बी० सिंह ने अपनी टुकड़ी को विभाजित किया एक स्काउट पार्टी की आड़ में आगे बढ़ने और उस गुफा, जहां उग्रवादी छिपे हुए थे, का पता लगाने के लिए भेजा। स्काउट, उस संतरी की गतिविधियों को सावधानीपूर्वक देखता रहा जिससे यह

संकेत मिला कि गुफा नजदीक ही है, स्काउट से सूचना प्राप्त होने पर, सर्वश्री एस० बी० सिंह और वी० के० आर्य ने मुख्य पार्टी को यह सुनिश्चित करते हुए फैला दिया कि गुफा कवर हो जाए। जब यह पार्टी आगे बढ़ रही थी तो संतरी ने इसे देख लिया और उस पर गोलियां चलायी । श्री एस० बी० सिंह, आड़ में सावधानीपूर्वक आगे बढ़े और अपनी एल० एम० जी० का निशाना गुफा की तरफ साध दिया । उन्होंने कांस्टेबल राजबीर सिंह को एम० एम० जी० पर रखा और उसे गुफा के अन्दर एक साथ एक राउन्ड गोली चलाने और अपना मोर्चा न छोड़ने के लिए कहा । उसके बाद उन्होंने एल० एम० जी० वाले दो कांस्टेबलों, सिकन्दर सिंह और अशोक कुमार को पूर्वी और पश्चिमी दिशा पर तैनात कर दिया ताकि गुफा से कोई भाग न सके । उन्होंने श्री आर्य और नायक एस० सी० कालाई को गुफा में ग्रेनेड फेंकने के निदेश दिया। सीमा सुरक्षा बल पार्टी द्वारा फेंके गए ग्रेनेड गुफा के मुंह पर फटे । उग्रवादियों ने सीमा सुरक्षा बल टुकड़ी पर ग्रेनेड फेंक कर जवाबी कार्रवाई की और गोलियां चलायीं । 4 तारीख की पूरी रात को श्री राजबीर सिंह अपनी एम० एम० जी० से गुफा के मुंह पर रुक-कर एक साथ एक राउन्ड गोली चलाते रहे। अकेले उनकी इस कार्रवाई से विद्रोही अन्धेरे की आड़ में गुफा से भाग नहीं सके । 5 जुलाई, 1996 की सुबह होते ही सहायक कमांडेंट राजेश कुमार के साथ वहाँ पहुंच गए । तब सर्वश्री आर्य और एस० सी० कलाई आगे बढ़े और उन्होंने गुफा के अन्दर ग्रेनेड और स्मोक केन्डल फेंके । ग्रेनेड के फटने और स्मोक केन्डल दागने के बाद गुफा के अन्दर भी आवाज नहीं आई। उसके बाद सीमा सुरक्षा बल पार्टी ने चिल्लाकर विद्रोहियों को बाहर आने के लिए कहा । तब विद्रोहियों ने कहा कि वे अपने हाथ ऊपर उठाकर आ रहे हैं । तथापि 3 उग्रवादी छिप से गोलीबारी करते हुए गुफा से दौड़ते हुए बाहर आए। तथापि, सीमा सुरक्षा बल पार्टी सतर्क थी और श्री राजबीर सिंह जो अभी भी मोर्चा सम्भाले हुए था, द्वारा अपनी एम० एम० जी० और सर्वश्री सिकन्दर सिंह और अशोक कुमार द्वारा एल० एम० जी० से की गयी गोलियों की बौछार से सभी उग्रवादी मारे गए। मुठभेड़ के स्थान से 6 शव और 4 ए० के० श्रेणी की राईफलें, एक एस० एस० जी० राईफल, 1 .303 राईफल, 2 पिस्तौल, एक वायरलेस सेट, 169 राउन्ड ए० के० गोला-बारूद, 29 राउन्ड एस० एस० जी० गोला बारूद, 16 राउन्ड पिस्तौल गोला-बारूद, 3 राउन्ड .303 गोला बारूद 9 राउन्ड हथगोले, 10 ए० के० मेगनीज, 1 एस० एस० जी० मैगजीन, 4 पिस्तौल मेगजीन, एक .303 मेगजीन और 3,300 रु० की भारतीय मुद्रा, 2 कलाई घड़ियां और दो पर्स बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री श्याम बिहारी सिंह, सूबेदार वी० के० आर्य, उप निरीक्षक, सुभाष चन्द्र कालाई," नायक अशोक कुमार, कांस्टेबल, सिन्दर सिंह, कांस्टेबल, और श्री राजबीर सिंह, कांस्टेबल 162 वी कटालियन, सीमा सुरक्षा बल ने अदम्य वीरता साहस एवं उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली, के नियम 4 (1) अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4-7-1996 से दिया जाएगा ।

एस० के० शरीफ,
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 58-प्रेज/98--राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारी का नाम और पद

श्री राजेन्द्र सिंह,
उप कमांडेंट,
50वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

24 दिसम्बर, 1995 को करीब 11.00 बजे सूचना मिली कि गांव बिदर में हिजबुल मुजाहिद्दीन के कुछ उग्रवादी मौजूद हैं । परन्तु घेरा डालने और तलाशी लेने के लिए एक आपरेशन की योजना बना कर उसे शुरू किया गया । श्री राजेन्द्र सिंह, उप कमांडेंट अपनी कम्पनी सहित उस गांव की ओर चल पड़े । श्री सिंह ने अपने दल को तीन ग्रुपों में विभाजित किया । तलाशी लेने वाली पार्टियों ने एक-एक करके घरों की तलाशी लेना शुरू कर दिया । जिस समय वे ऐसा कर रहे थे, तो छोड़ दिए गए खाली घरों में छिपे हुए विद्रोहियों ने तलाशी लेने वाली पार्टी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । श्री राजेन्द्र सिंह और उनकी पार्टी ने तुरन्त कवर ले ली और उस खाली छोड़ दिए गए मकान की पहचान कर ली जहां उग्रवादी छिपे हुए थे । उग्रवादियों और पुलिस के बीच लगभग साढ़े तीन घंटे तक गोलीबारी होती रही । श्री सिंह तुरन्त अपनी पार्टी को अलग-अलग ग्रुपों में विभाजित करके एक का नेतृत्व उन्होंने स्वयं किया तथा दूसरे ग्रुप का नेतृत्व श्री राज सिंह और श्री एम० सी० त्रिपाठी, हेड कान्स्टेबलों ने किया। श्री राज सिंह के नेतृत्वाधीन पार्टी ने लक्षित घर की एक ओर मोर्चा लिया जबकि त्रिपाठी की कमानाधीन दूसरी पार्टी को इस घर को दूसरी ओर से कवर करने के लिए दूसरी दिशा में भेजा गया । श्री राजेन्द्र के पास श्री राज सिंह और त्रिपाठी के नेतृत्व में दो ग्रुपों के पास एल० एम० जी० उपलब्ध थी, उन्हें घर के दोनों ओर तैनात कर दिया गया घर के भीतर छिपे विद्रोहियों ने जब यह देखा कि वे घिर चुके हैं और उन पर गोलीबारी जारी है तो उन्होंने उस समय एकदम घर से बाहर निकलने की कोशिश की जब श्री राजेन्द्र

सिंह इस घर में घुस रहे थे। हिजबुल मुजाहिद्दीन के उग्रवादी फयाज याखानी द्वारा चलाई गई गोलियों से श्री सिंह बचने में सफल हो गए। श्री सिंह की जवाबी गोलीबारी से फयाज याखानी मारा गया। इस बीच, श्री सिंह और श्री त्रिपाठी द्वारा की गई फायर से मौहम्मद सफी लोने और निसार पद्दार तथा एच० एम० गुट के अन्य दो उग्रवादी, जो उस घर से बच कर भाग निकलने का प्रयास कर रहे थे, मारे गए। घटनास्थल से 2–ए० के०–56 राइफलें, ए० के० राइफल की 4 मैगजीनें, ए० के० श्रेणी के 24 सक्रिय राउण्ड तथा एक हथगोला बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री राजेन्द्र सिंह, उप-कमांडेंट, 50वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल, ने अवश्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24.12.95 से दिया जाएगा।

एस० के० शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 59–प्रेज/98––राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :––

अधिकारियों के नाम और पद

श्री एस० पी० सिंह,
उप–कमांडेंट,
86वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री बी० एस० दहिया,
निरीक्षक,
86वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री ए० एस० रावत,
निरीक्षक (जी),
जे० ए० डी० (जी) टीम मैंगम (एस० जी० आर०)।

श्री सागर तमांग,
कांस्टेबल,
86 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

18 मार्च, 1996 को खन्नियार (जम्मू व कश्मीर) में तैनात सीमा सुरक्षा बल की 86वीं बटालियन को हिजबुल मुजाहिद्दीन के विद्रोही अब्दुल रशीद, कोड पिरना, के बारे में सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना के प्राप्त होने पर श्री शैतान सिंह, सहायक कमांडेंट, की कमान में एक टुकड़ी उस घर की ओर गई जिसमें अब्दुल रशीद छिपा हुआ बताया गया था, और घर को घेरकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर अब्दुल रशीद ने बताया कि एच० एम० का एक विद्रोही नजीर अहमद जारू नौहाटा में एक घर में छिपा है। इस पर, ओ० पी० हूडा, उप-कमांडेंट के नेतृत्व में एक पार्टी और एक टुकड़ी ने उस घर पर धावा बोला और नजीर अहमद जारू को गिरफ्तार कर लिया और ए०-के०-47 की एक मगजीन और चार अनप्रयुक्त राउण्ड बरामद किए। आगे और पूछताछ करने पर, अब्दुल रशीद ने बताया कि उस घर, जहां से नजीर अहमद जारू को गिरफ्तार किया गया है, का प्रयोग दिलावर नामक एक हिजबुल मुजाहिद्दीन के सैक्शन कमांडर द्वारा बुधवार को साप्ताहिक बैठकें करने के लिए किया जाता है। सीमा सुरक्षा बल की 86वीं बटालियन कमांडेंट ने एक आपरेशन प्लान तैयार किया और एस०पी० सिंह, उप–कमांडेंट सहित 3 एस०ओ० और 20 अन्य रैंकों को, एच० एम० के सदस्यों के एकत्र हो जाने के बाद घेरा डालने के लिए तैनात किया। इससे पहले कि घेरा डाला जाता, भीतर छिपे विद्रोहियों ने सीमा सुरक्षा बल की पार्टी पर चारों ओर से गोली-बारी शुरू कर दी।

2. श्री एस० पी० सिंह साथ वाले खाली छोड़ दिए गए घर में घुसने में सफल हो गए और घेरा पार्टी ने लक्षित घर (तीन मंजिला) के दोनों ओर पोजिशन संभाल ली। श्री सिंह ने अपने ग्रुप को आगे और तीन पार्टियों में विभाजित किया और उन्हें घर की प्रत्येक ओर तैनात कर दिया। उन्होंने खिड़कियों से गोलियां चलानी जारी रखीं और उग्रवादियों पर काबू पा लिया। निरीक्षक इन्दर सिंह, उप–निरीक्षक पी० बी० ध्यानी, हैड-कांस्टेबल हनुमान सिंह, कांस्टेबल यशपाल और नरेश कुमार सहित स्वयं श्री सिंह खाली पड़े घर की खिड़कियों से कूद कर लक्षित घर में घुस पड़े। घर में घुसने के उपरान्त श्री सिंह ने हथगोले फेंक-फेंक कर कमरों को उग्रवादियों से मुक्त कराना शुरू कर दिया और इस प्रकार भूतल को उग्रवादियों से मुक्त कराने में सफल हो गए। उग्रवादी प्रथम और दूसरी मंजिल पर मौजूद थे और उन्होंने घर के बाहर पुलिस के घेरे पर गोलियां चलानी जारी रखीं। एक बार पहली मंजिल खाली हो जाने पर श्री सिंह ने अपने दो कार्मिकों को इस प्रकार से पोजीशन किया जिससे वे उन्हें कवरिंग फायर प्रदान कर सकें और इस प्रकार प्रदान की गई कवरिंग फायर के बीच श्री सिंह निरीक्षक ए० एस० रावत और कांस्टेबल सागर तमांग सहित सीढ़ियों में घुसने में सफल हो गए। कवरिंग फायर के कारण पहली मंजिल पर छिपा उग्रवादी वहां से हट नहीं सका और उसे मार डाला गया। पहली मंजिल साफ हो जाने के बाद, दूसरी पार्टी जिसमें निरीक्षक बी० एस० दहिया, निरीक्षक बी० एस० रावत, निरीक्षक राजेश कुमार, लांस नायक सुरेन्दर सिंह, कांस्टेबल,

राज कपूर और कांस्टेबल सागर तमांग, कवरिंग फायर की आड़ में दूसरी मंजिल तक गोलियां चलाते गए और उस विद्रोही को मार डालने में सफल हो गए जोअ भी भी दूसरी मंजिल से गोलीबारी कर रहा था ।

3. मृत उग्रवादियों की पहचान नज़ीर अहमद और सज्जाद अहमद, दोनों हिज़बुल मुजाहिद्दीन के विद्रोहियों, के रूप में की गई । उनसे दो ए० के०–56 राइफलें, 2–ए० के० मैगजीनें, ए० के० श्रेणी की 20 राउण्ड गोलियां, 9 मि० मी० की एक पिस्तौल, पिस्तौल की एक मैगजीन, पिस्तौल के 6 राउण्ड डौर ए० के०–56 राइफल के ई० एफ० सी० के 19 राउण्ड बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री एस० पी० सिंह, उप–कमांडेंट, श्री बी० एस० दहिया, निरीक्षक, श्री ए० एस० रावत, निरीक्षक (जी) और श्री सागर तमांग, कांस्टेबल, 86वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ने अदम्य वीरता, साहू एवं उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18–3–96 से दिया जाएगा ।

एस० के० शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 60–प्रेज/98—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री सी० पी० घिल्डियाल,
कमांडेंट (एस० जी०)
84 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री सी० के० सिंह,
उप-निरीक्षक (जी०)
84 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री बदन सिंह,
कांस्टेबल,
84 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

श्री नगर की उमर कालोनी के बुदशाह मोहल्ला के एक विशिष्ट मकान में कुछ उग्रवादियों के मौजूद होने के बारे में 19.5.1996 को सूचना मिलने पर, श्री सी० पी० घिल्डियाल, कमांडेंट, 84 वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल और श्री राजिन्दर मनी, ए० डी० (जी०) उस इलाके के लिए रवाना हुए । वहां पहुंचने पर श्री घिल्डियाल ने श्री वी० रामकृष्णन, 21 सी०, श्री एस० के० बरूआ० डी० सी० और श्री पी० जे० राव, कमांडेंट, 12 वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल के साथ मिल कर इस इलाके का घेरा डालने की योजना बनाई । घेरा डाल लेने के बाद, संदिग्ध घर के सदस्यों को घर से बाहर आने के लिए कहा गया । एक व्यक्ति जो बाहर आया पाकिस्तानी नागरिक निकला जिसने बताया कि हरकत–उल–अंसार के चार और विद्रोही शस्त्रों से लैस होकर घर के अन्दर छिपे हुए हैं । श्री घिल्डियाल ने कवरिंग फायर की आड़ में एक पार्टी को भूतल पर कब्जा करने के उद्देश्य से अन्दर भेजा । इस पार्टी ने भूतल में घुसने में सफलता पा ली और कुछ शस्त्र बरामद किए । तब तक अंधेरा होने जा रहा था और यह निर्णय लिया गया कि रात भर के लिए भर को घेर कर रखा जाए तथा पहली किरण फूटने भर ही आपरेशन पुनः शुरू किया जाए । श्री घिल्डियाल और पी० जे० राव के पर्यवेक्षण में भवन के चारों ओर शस्त्रों को तैनात कर दिया गया ।

2. अगले दिन प्रातः लाउडहेलर की मदद से उग्रवादियों को आत्म समर्पण करने के लिए कहा गया। इस घोषणा का जवाब गोली-बारी करके दिया गया तथा दो ग्रेनेड, भूतल पर फेंके गए। उप निरीक्षक (जी०) सी० के० सिंह और कांस्टेबल बदन सिंह, जो सीढ़ियों के पास मोर्चा लिए हुए थे, भाग्यवश घायल होने से बच गए । उन्होंने हथगोले और स्टीक गोली-बारी करके जवाबी कार्रवाई की और विद्राही को घायल करने में सफल हो गए। तथापि, ग्रेनेड के विस्फोट से भूतल पर आग लग गई वहां तैनात कमांडो प्लाटून को वहां से हटना पड़ा। इस मौके पर श्री डी० के० त्रिपाठी, जे० ए० डी (जी) के नेतृत्वाधीन आर० पी० जी० के एक दल को बुलाया गया और उस दल ने दूसरी मंजिल पर कई राकेट फेंके, जिसके परिणामस्वरूप मकान की छत गिर पड़ी। इस बीच उग्रवादी पहली मंजिल पर पहुंच गए और उन्होंने अब सभी खिड़कियों से गोली-बारी करनी शुरू कर दी । वहां पर तैनात अग्नि शमन की गाड़ी को प्रथम और दूसरे तल की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया गया। श्री सी० के० सिंह, जो कमांडो प्लाटून का नेतृत्व कर रहे थे, ने कवरिंग फायर की आड़ में पुनः भूतल में घुसने में सफलता पा ली । उन्होंने वहां से उग्रवादियों के दो शव बरामद किए जो भूतल पर आ गिरे थे। तथापि, अन्य विद्रोहियों ने स्टोर रूम में शरण ले ली थी और वह लगातार गोलियां चला रहे थे। स्थिति का मुआयना करने के बाद श्री घिल्डियाल ने पुनः आर० पी०

जी० का प्रयोग करने का फैसला किया। श्री त्रिपाठी ने दोबारा से स्टोर रूम में राकेट दागे और उसमें एक छिद्र करने में सफलता पाई। श्री सिंह, कांस्टेबल बदन सिंह के साथ अपनी टुकड़ी द्वारा प्रदान की गई कवरिंग फायर की आड़ में उस स्टोर रूम की दीवार में किए गए छिद्र तक पहुंच गए और अन्दर दो ग्रनेड फैंके। ग्रेनेड फटने के बाद उग्रवादियों की गोलियां चलनी बंद हो गई। सर्वश्री सी० के० सिंह, और बदन सिंह स्टोर रूम को तोड़ कर अन्दर घुसे तथा एक और ग्रेनेड फैंका और शेष दो उग्रवादियों को मारने में भी सफलता पा ली।

3. इस मुठभेड़ में चार विद्रोही मारे गए और एक को जीवित पकड़ लिया गया। इस सपूर्ण आपरेशन में, 7.62 मि०मी० की एक एस० एल० आर० राइफल, चार राइफलें ए० के०–47/56, 7.62 मि० मी० राईफल की एक मैगजीन ए० के०–47/56 राईफल की 10 मैगजीनें, 7.62 मि० मी० बी० डी० आर० के 19 सक्रिय राउण्ड, ए० के० श्रेणी के 230 सक्रिय राउण्ड, और 3 हथगोले, मुठभेड़ के दौरान बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री सी० पी० चिल्डियाल, कमांडेंट (एस० जी०), श्री सी० के० सिंह, उप-निरीक्षक (जी०) और बदन सिंह, कांस्टेबल, 84वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19–5–96 से दिया जाएगा।

एस० के० शरीफ
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं० 61–प्रेज/98—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और पद

(दिवंगत) श्री मोहन सिंह कोली,
सहायक कमांडेंट,
145वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

(दिवंगत) श्री पुरुषोत्तम सिंह,
कांस्टेबल (ड्राईवर),
145वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

बंगलादेश सीमा पर त्रिपुरा उत्तरी सेक्टर में तैनात सुरा सीमक्षा बल की 145वीं बटालियन के श्री मोहन सिंह कोली, 6 फरवरी, 1996 को लगभग 1015 बजे सीमा चौकी दिगियाबाड़ी से सीमा चौकी बोगाबिल को चले। यह भू-भाग नीचा, घने पेड़ पौधों वाली पहाड़ियों वाला है, जहां बोगाबिल से 2.5 किलोमीटर दूर घुमावदार सड़क है, जब श्री एम० एस० कोली की दो वाहनों वाली कानवाई एक मोड़ काट रही थी तो विद्रोहियों ने घात लगायी। इस गोलीबारी में कांस्टेबल (ड्राईवर) पुरुषोत्तम सिंह की छाती पर और श्री एम० एस० कोली की बांयी टांग पर गोली लगी। जख्मी होने के बावजूद कांस्टेबल (ड्राईवर) पुरुषोत्तम सिंह लगातार गाड़ी चलाते रहे और वाहन को घात क्षेत्र से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। घात क्षेत्र को पार करते ही श्री कोली, सहायक कमान्डेंट, हालांकि वे जख्मी थे, वाहन से बाहर कूद पड़े और घात पर वापस गोलीबारी करने के लिए रक्षक दल को संगठित किया। पहाड़ियों पर चढ़ कर उन्होंने रक्षक दल को सुविधाजनक स्थानों पर तैनात करके उसे घात पर गोलियां चलाने का निदेश दिया। यह देख कर कि गश्ती दल को पुनः संगठित कर दिया गया है, विद्रोही ग्रुप पीछे हट गया और बंगला देश की तरफ भाग खड़ा हुआ। बोगाबिल और देलचेरा सीमा चौकियों से कुमुक ने सर्वश्री पुरुषोत्तम सिंह और कोली को वहां से निकाल लिया जिन्होंने घावों के कारण अस्पताल में दम तोड़ दिया। सर्वश्री पुरुषोत्तम सिंह और कोली ने सेवा की उच्चतम परम्परा को बनाए रखते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) श्री मोहन सिंह कोली, सहायक कमान्डेंट और (दिवंगत) श्री पुरुषोत्तम सिंह, कांस्टेबल, 145वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 6–2–96 से दिया जाएगा।

एस० के० शरीफ
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं० 62–प्रेज/98—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री उमेद सिंह, उप कमांडेंट,
31वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

19 जुलाई, 1996 को पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) से सूचना मिली कि उग्रवादियों का एक दल गांव हरीपुरा में छिपा है। तदनुसार, एक संयुक्त ऑपरेशन चलाने की योजना बनाई गई। ऑपरेशन पार्टी 21.30 बजे पैदल ही गांव हरीपुरा को रवाना हो गई। यह पार्टी जैसे ही पुल के करीब पहुंची तो इस पर घात लगाकर भारी गोलीबारी की गई। आत्मरक्षा में इन पार्टियों ने गोलीबारी का जवाब गोलियां चलाकर दिया और पंद्रह मिनट तक दोनों ओर से गोलीबारी होती रही। उस क्षेत्र में प्रकाश किया गया तो श्री उमेद सिंह अब उस स्थान को देख सकते थे जहां से उग्रवादी गोलीबारी कर रहे थे। श्री सिंह ने वायरलैस पर सहायक कमांडेंट को निर्देश दिया कि वे दूसरी ओर से घेरा डाल लें तथा कवरिंग फायर प्रदान करें। जब पूरा पुलिस दल उग्रवादियों द्वारा की गई भारी गोलीबारी के दबाव में आ गया तथा पुलिस की ओर से की जा रही गोलीबारी में प्रभावी नहीं रह पाई तो श्री उमेद सिंह चार जवानों सहित बांई ओर मुड़े और उस घर की पिछली ओर गए जहां से गोलियां चलाई जा रहीं थी। श्री सिंह और उनके कार्मिकों ने आड़ में मोर्चा ले लिया। इस बीच एक उग्रवादी उठा और अपनी राइफल बड़े नजदीक से उन पर तान दी परन्तु इससे पहले कि वह गोली चलाए श्री सिंह ने बिजली की तत्परता से अपनी राइफल से गोलियां चला दीं जो उग्रवादी के सिर में लगी। कराहता हुआ वह जमीन पर गिर गया। विद्रोहियों ने यद्यपि, उनकी गतिविधियों को देख लिया था तथा इससे पहले कि वे अपनी पोजीशन पर पहुंच पाते, विद्रोही अंधेरे और ऊंचे-नीचे इलाके का लाभ उठाते हुए भाग निकले। उस क्षेत्र की सर्चलाईट द्वारा तलाशी ली गई। एक शव बरामद किया गया। मृत उग्रवादी की पहचान बाद में गुलाम रसूल मीर उर्फ तारिक मीर, जमायत-उल-मुजीहिदीन का पी० टी० एम० मुखिया के रूप में की गई। मुठभेड़ स्थल से 1-यू० एम० जी०, 1 राइफल, ए० के० श्रेणी की 3 मैगजीनें और 5 राउण्ड बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री उमेद सिंह, उप कमांडेंट, 31वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल, ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम, 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19-7-96 से दिया जाएगा।

एस० के० शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 63-प्रैज/98—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री एन० के० एन० पानिकर, कमांडेंट,
71वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री महावीर सिंह, हैड कांस्टेबल,
71वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

पिंगलाना गांव के एक घर में विद्रोहियों की दिनांक 31 अगस्त 1996 को एक बैठक होने की सूचना प्राप्त होने पर श्री एन० के० एन० पानिकर, कमांडेंट, की कमान में घेरा डालने और तलाशी आपरेशन चलाने की योजना बनाई गई। इस प्रयोजनार्थ, विभिन्न अधिकारियों के नेतृत्व में घेरा डालने वाली छह पार्टियों का गठन किया गया। श्री पानिकर के नेतृत्व वाली पार्टी ने उस परिसर पर छापा मारा जहां उग्रवादी एकत्र हुए थे जबकि अन्य पार्टियां लक्षित घर की ओर बढ़ने लगीं। इस बात का आभास होने पर कि पुलिस ने घेरा डाल दिया है उग्रवादी अपने स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी करते हुए बच कर भागने लगे जिससे श्री पानिकर की बांई भौंह पर घाव हो गया। अपनी निजी सुरक्षा की चिंता किए बगैर श्री पानिकर ने मिट्टी की दीवार के निकट मोर्चा संभाल लिया और एक उग्रवादी को मार गिराया। इस बीच, श्री हरमिन्दर पाल ने उपलब्ध आड़ में पोजीशन लेकर भागते हुए उग्रवादियों पर गोलियां चलाई तथा एक और उग्रवादी को मार गिराया। श्री महावीर सिंह के नेतृत्व वाली पार्टी पर भी तीसरे उग्रवादी द्वारा भारी गोलीबारी की गई। श्री सिंह ने आत्मरक्षा में उग्रवादी पर गोली चलाई। श्री सिंह की दायीं जांघ पर गोली लगने से घाव हो गया। फिर भी आगे बढ़ते हुए श्री सिंह ने उग्रवादी पर गोलियां चलाई और उसे वहीं मार गिराया। मारे गए उग्रवादियों की पहचान बाद में मोहम्मद युसुफ वानी, कम्पनी कमांडर, शकील अहमद लोने और रियाज अहमद गनाई के रूप में हुई जो सभी हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप से थे। मुठभेड़ स्थल से 2 ए० के० 56 राइफलें, 1 ए० क० 47 राइफल, ए० के० 47/56 की 7 मैगजीनें, एक वायरलैस सैट, 2 डिटोनेटर 1 आयरन ग्रेनेड, एक स्टिक ग्रेनेड और ए० के० श्रेणी के सक्रिय 37 राउण्ड कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री एन० के० एन० पानिकर, कमांडेंट, और श्री महावीर सिंह, हैड कांस्टेबल, 71वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 31-8-96 से दिया जाएगा।

एस० के० शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 64-प्रैज/98—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

श्री जोगिन्दर पाल सिंह,
उप निरीक्षक,
162वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री आर० के० दुबे,
लांस नायक,
162 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किये गये।

13-6-1996 को कैल्लार क्षेत्र के कुमारी गांव में एक विद्रोही ग्रुप के मौजूद होने के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई। कम्पनी कमाण्डरों के साथ विचार विमर्ष करने के बाद कमांडेंट द्वारा एक आपरेशन चलाने की योजना बनाई गई। आपरेशन को दक्षिणी किनारे पर गजोट/मलोठी और उत्तर में सारूनवा से एक-एक निरीक्षक के नेतृत्व में एक साथ चलाने का निर्णय लिया गया। चार ग्रुप बनाए गए जिसमें से एक का नेतृत्व श्री जोगिन्दर पाल सिंह, उप निरीक्षक कर रहे थे। कमांड मुख्यालय सहित श्री सिंह के नेतृत्व वाली पार्टी गांव के पूर्वी ओर गई। रास्ते में पड़ने वाले कुछ संदिग्ध घरों की इस पार्टी द्वारा तलाशी भी ली गई। अभी यह पार्टी एक घर की ओर बढ़ी ही थी कि अचानक की गई घुंआधार गोलीबारी के कारण इसे खेत की मुंडेर पर मोर्चा लेना पड़ा। उग्रवादियों द्वारा पास के एक घर से भी गोलीबारी की गई। श्री आर० के० दुबे, लांस नायक को साथ लेकर श्री सिंह खेतों की रांरचना का पूरा लाभ उठाते हुए और होशियारी से आगे बढ़ते हुए प्रथम बार घर से गोली चलाने वाले के समानांतर पोजीशन पर पहुंच गए। यह स्थान मुंडेर के निचली तरफ था। श्री सिंह, श्री दुबे के साथ मुंडेर पर चढ़े और वहां पड़े लकड़ी के लट्ठों और शिलाखण्डों के पीछे मोर्चा संभाल लिया। जैसे ही वे ऊपर उठे उग्रवादियों ने तुरन्त उन्हें देख लिया और तत्काल अपनी एल० एम० जी० को वहां से हटा कर उन पर निशाना लगाने का प्रयास किया। जिस समय उग्रवादी उन पर गोली चलाने ही वाला था तो श्री सिंह और श्री दुबे ने उग्रवादी पर गोलियां चला दीं। वह उसी समय वहीं पर मारा गया। जब पार्टियों ने दूसरे अन्य उग्रवादियों को पकड़ने का प्रयास किया तो वे घने जंगल की आड़ लेकर बच कर भाग गए। मारे गए उग्रवादी की पहचान शाहिद शाह, क्षेत्रीय कमांडर, जो एच० एम० गुट से था, के रूप में की गई तथा यू० एम० जी०-1, 12 बोर (एस० बी० गन)-1, ए० के० मैगजीन-2, यू० एस० जी० राउण्ड 81, 1-ग्रेनेड और भारतीय मुद्रा में 700 रुपये बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री जोगिन्दर पाल सिंह, उप निरीक्षक, श्री आर० के० दुबे, लांस नायक, 162वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत एवीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13-6-96 से दिया जाएगा।

एस० के० शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

सं० 65-प्रेज/98—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक/पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री एस० ए० आल्वी, कमांडेंट,
104वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

श्री एस० बी० मुकर्जी,
सहायक कमाण्डेण्ट (तक०)
104वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल।

श्री बन्सी राम, निरीक्षक,
104वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल।

श्री गुणपाल सिंह, कांस्टेबल
104वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल।

श्री सुभाष चन्द्र, कांस्टेबल,
104वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

30 सितम्बर, 1995 को लगभग 17.20 बजे श्री एस० ए० आल्वी, कमांडेण्ट को विश्वस्त सूचना मिली कि किसी मो० शाबन, निवासी मैथान, चानपुरा के घर में कुछ आतंकवादी एकत्र हुए हैं और संभावना है कि वे मैथान में सीमा सुरक्षा बल चौकी पर गोलीबारी करें। श्री आल्वी ने तत्काल अपनी कम्पनी से कर्मी लेकर तीन दल बनाए और उस घर की अवस्थिति का अध्ययन करने के बाद इन तीनों प्लाटूनों को तीन विभिन्न दिशाओं से उस घर पर पहुंचने के लिए तैनात किया। एक पार्टी का नेतृत्व वे स्वयं कर रहे थे और अन्य दो दलों का नेतृत्व श्री एस० बी० मुखर्जी, सहायक कमांडेन्ट (तक०) और सूबेदार बन्सी राम

कर रहे थे। सूबेदार (जी०) निर्मल सिंह ने भी बंकर वाहन कार्मिकों को लेकर श्री आल्वी की कमान में एक पार्टी का गठन किया। इन सभी पार्टियों ने पोजीशन ली और घर के आस-पास सीमा सुरक्षा बल की गतिविधियों की भनक पाकर आतंकवादियों ने सभी ओर से गोलियां चलानी शुरू कर दी। घर की एक बगल के दोनों ओर एल० एम० जी० लगाकर श्री आल्वी दो एस्कोर्ट कांसटेबलों श्री गुणपाल सिंह और बीरपाल सिंह के साथ भवन के पास पहुंचने और घर में एक हथगोला फेंकने में सफल हो गए। जब हथगोला फटा तो घर के सामने की तरफ से तीन आतंकवादी कूदे और उन्होंने घेरे को तोड़ने का प्रयास किया। तब तक श्री बन्सी राम ने मोर्चा संभाल लिया था और अपने कार्मिकों को आड़ में तैनात कर दिया था। भागने के रास्ते को अवरुद्ध हुआ देखकर आतंकवादी पीछे की ओर मुड़े। सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी गोलियां चलाती रही और कमांडेन्ट एक आतंकवादी को मार गिराने में सफल हो गए और उसके बाद शीघ्र ही उनके ग्रुप ने दो अन्य आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गये आतंकवादियों की पहचान नजीर अहमद उर्फ तनवीर, मो० शाबन भट्ट उर्फ शाबलू उर्फ जाहिद और मो० आमिन मिर उर्फ सुल्तान, जो सभी तहरीक-उल-मुजाहिद्दीन के थे, के रूप में की गई। नजीर अहमद रेजिमेन्टल कमाण्डर था। आतंकवादियों की गोलीबारी से एक नागरिक की मौत हो की भी सूचना मिली थी। दो ए० के० राइफलें, 2 ए० के मैगजीन, 3 हथगोले, 1 वायरलैस सैट कई राउण्ड गोलाबारूद बरामद किये गये।

इस मुठभेड़ में श्री एस०ए० आल्वी, कमान्डेंट, एस० बी० मुखर्जी, सहायक कमांडेंट (तक.), बन्सी राम, निरीक्षक, गुणपाल सिंह, कांस्टेबल और श्री सुभाष चन्द्र, कांस्टेबल, 104वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि के कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30-9-95 से दिया जाएगा।

एस० के० शरीफ
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 1998

संकल्प

विषय : भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची की सलाहकार समिति का पुनर्गठन

सं० डब्ल्यू० एम० 2(6)/95—केन्द्रीय सरकार, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान नियम (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ लीगल मेटरालोजी रूल्स) 1980 के नियम-8 के अनुसरण में और खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति विभाग) के दिनांक 28 जून, 1988 के संकल्प सं० डब्ल्यू० एम० 2(5)/88 का अधिक्रमण करते हुए, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची की सलाहकार समिति का पुनर्गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

अध्यक्ष

1. सचिव, भारत सरकार,
उपभोक्ता मामले विभाग,
अथवा उसका नामनिर्देशिती जो
संयुक्त सचिव से कम रैंक का
अफसर नहीं होगा।

2. सदस्य
महाप्रबंधक
भारत सरकार टकसाल, फोर्ट मुम्बई,
अथवा उसका नामनिर्देशिती।

3. डा० ए० के० चक्रवर्ती,
सलाहकार,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग,
प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड,
नई दिल्ली-110016।

4. श्री यू० के० झा,
अतिरिक्त विधि सलाहकार,
कमरा सं० 424 "ए" विंग,
शास्त्री भवन,
विधि और न्याय मंत्रालय,
नई दिल्ली।

5. निदेशक,
नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नई दिल्ली
अथवा उसका नामनिर्देशिती।

उद्योग प्रतिनिधि

6. श्री एम० के० संघानिया,
प्रबंध निदेशक,
शंकर वायर प्रोडक्ट्स,
देवघर, बिहार।

नाम निर्दिष्ट सदस्य

7. बाट और माप नियंत्रक
आंध्र प्रदेश सरकार,
हैदराबाद।

8. विधिक माप विज्ञान नियंत्रक,
मध्य प्रदेश, भोपाल।

9. विधिक माप विज्ञान नियंत्रक,
असम सरकार,
गुवाहाटी ।

10. विधिक माप विज्ञान नियंत्रक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
दिल्ली ।

11. श्री बी० राम कुमार,
प्रशिक्षार्थी प्रतिनिधि,
मार्फत भारती माप विज्ञान संस्थान,
रांची ।

12. महानिदेशक,
भारतीय मानक ब्यूरो,
नई दिल्ली
अथवा उसका नाम निर्देशिती ।

13. निदेशक,
नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाउण्ड्री एण्ड
फोर्जिंग टेक्नालाजी,
एच० ई० सी० कालोनी,
रांची ।

14. कर्मशाला का विभागाध्यक्ष,
राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
महरौली रोड,
नई दिल्ली ।

सहयोजित सदस्य

15. लेखा नियंत्रक,
उपभोक्ता मामले विभाग,
नई दिल्ली ।

पदेन सदस्य

16. विधिक माप विज्ञान निदेशक,
उपभोक्ता मामले विभाग,

पदेन संयोजक

17. निदेशक,
भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान,
रांची ।

राजीव श्रीवास्तव,
अपर सचिव

4—31 GI/98

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 1997

संकल्प

विषय—राष्ट्रीय पुस्तक प्रोन्नति परिषद् गठन

सं० एफ०-7-13/93-बी० पी०-II—मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, भारत सरकार ने देश के सम्पूर्ण जरूरतों के सन्दर्भ में पुस्तक उद्योग के विकास हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित करने के लिये वर्ष 1967 में राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड की स्थापना की थी। तदुपरान्त 1970 में बोर्ड का पुर्नगठन किया गया था और फरवरी, 1974 तक कार्य किया। राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् नामक एक नई निकाय की स्थापना 15 सितम्बर, 1983 को की गई थी और 30 सितम्बर, 1985 तक कार्य किया। परिषद् का अन्तिम पुर्नगठन 3 वर्ष की अवधि अर्थात् 5-11-93 तक के लिये 6-11-90 को किया गया था।

2. भारत सरकार ने अब पूर्व राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् की समीक्षा करने का निर्णय लिया है और उसका पुनः नाम राष्ट्रीय पुस्तक प्रोन्नति परिषद् कर दिया है जिसकी संरचना तथा कार्य निम्नलिखित है :—

परिषद् के कार्य

राष्ट्रीय पुस्तक प्रोन्नति परिषद् के कार्य निम्नलिखित हैं :—

(क) यह पुस्तक प्रोन्नति के साथ-साथ पुस्तकों का लेखन/पुस्तकों के रचनाकार, प्रकाशन और बिक्री, मूल्य और कापीराइट, पुस्तक पढ़ने की आदत, उपलब्धता और विभिन्न भारतीय भाषाओं में विभिन्न आयु वर्गों के लिये जनसंख्या के विभिन्न वर्गों में पुस्तकें सुलभ कराना और गुणवत्ता तथा सामान्य भारतीय पुस्तकों की विषय-वस्तु को शामिल करते हुए सभी मुख्य पहलुओं पर विचारों का आदान-प्रदान सुकर बनाने वाला एक मंच है।

(ख) परिषद् के बैठकों में प्राप्त हुए सुझावों तथा विचार को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/एजेंसियों द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले निवेशों के रूप में अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों को तैयार करने में उनको उस सीमा तक शिक्षा विभाग द्वारा प्रलेखित किया जायेगा जहां तक वे प्रासंगिक होंगे।

(ग) परिषद् की प्रत्येक बैठक के लिये, तत्सम्बन्धी कार्य सूची तथा टिप्पणियां समय-समय पर परिषद् के सदस्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की जायेगी।

(घ) परिषद् की बैठक वर्ष में एक या दो बार होगी।

3. परिषद् का मुख्यालय तथा सचिवालय

परिषद् का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा और इसका सचिवालय शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की पुस्तक प्रोन्नति एवं कापीराइट प्रभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा।

4. परिषद् का गठन

राष्ट्रीय पुस्तक प्रोन्नति परिषद् का गठन निम्न प्रकार से होगा:—

(क) अध्यक्ष : मानव संसाधन विकास मंत्री
मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(ख) उपाध्यक्ष : राज्य मंत्री (शिक्षा)

(ग) लेखक

(1) श्री सुभाष मुखोपाध्याय,
बंगाली लेखक, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता
5/बी, डॉ० सरत बनर्जी रोड,
कलकत्ता–700029।

(2) श्री गो० रू० चन्नावासप्पा
पूर्व अध्यक्ष, कन्नड़, साहित्य परिषद्
"राम ज्योति", 1453, साउथ खण्ड "ए" रोड,
9वां तल ब्लाक, जय नगर, बंगलौर–560069।

(घ) संगठन के प्रमुख प्रकाशक संघ–3

(1) अध्यक्ष, भारतीय प्रकाशक संघ, नई दिल्ली

(2) अध्यक्ष, पुस्तक, प्रकाशन और मुद्रण पैनल
(पुस्तक भाग) केपक्सिल्स, नई दिल्ली।

(3) महा सचिव, दक्षिण, भारत हिन्दी प्रचार सभा,
चेन्नई।

(ङ) कापीराइट में विशेषज्ञ

डा० आर० वी० वैद्यनाथ अय्यर, पूर्व अवर सचिव
(शिक्षा)।

(च) पदेन सदस्य –5

(1) अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।

(2) अध्यक्ष, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली।

(3) अपर सचिव, शिक्षा विभाग।

(4) संयुक्त सचिव (पुस्तकालय प्रभारी), संस्कृति विभाग।

(5) संयुक्त सचिव (बी० पी०)—सदस्य–सचिव।

5. सदस्यों की अवधि.

राष्ट्रीय पुस्तक प्रोन्नति परिषद् की अवधि तीन वर्ष होगी। परिषद् के अध्यक्ष और पदेन सदस्यों को छोड़कर प्रत्येक सदस्य की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष होगी जब तक कि कम या लम्बी अवधि नहीं दर्शायी गई है, परन्तु वह पुनः नियुक्ति के लिये पात्र होगा। जहां परिषद् का सदस्य, सदस्य कार्यालय पर जिस पद पर वह है उसकी वजह से सदस्य बनता है तो परिषद् की उसकी सदस्यता, वह कार्यालय या नियुक्ति छोड़ने पर समाप्त हो जायेगी। सदस्यों के बीच (पदेन सदस्यों को छोड़कर) सभी अनियमित रिक्तियां उस प्राधिकारी या निकाय द्वारा भरी जायेगी जिन्होंने उस सदस्य को नामांकित किया था जिनका स्थान रिक्त हुआ है तथा अनियमित रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति उस शेष अवधि के लिये परिषद् का सदस्य होगा जिसके लिये स्थान भरा गया है वह व्यक्ति सदस्य होगा।

6. बैठकें और उप समितियां

परिषद् की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होगी। परिषद् विशिष्ट उद्देश्यों के लिये समितियां/पैनल स्थापित कर सकता है जो जब भी आवश्यक हो जल्दी-जल्दी बैठकें कर सकते हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और उनके विभागों, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाये।

रूद्र गंगाधरन,
संयुक्त सचिव (बी०पी०)

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 11th April 1998

No. 34-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Government of A & N Islands :—

Name and Rank of the Officers

Shri Mahanand Toppo,
Constable,
Jarwas Protection Police Post,
Tirur, Port Blair.

State of services for which the decoration has been awarded

On the intervening night of 23/24-4-1997 a group of about 30-35 Jarwas inhabited in the jungles of Andamans attacked the Jarwas Protection Post, Tirur. They started pulling out the bamboo wall of a police outpost. Shri Mahanand Toppo, Constable was on sentry duty. He noticed that Jarwa hostiles were aiming their arrows at his colleagues who were sleeping in the hut. He also alerted his colleagues. In the meantime one of the arrows shot by the Jarwas hit Constable Toppo on the left side of his chest. Thereafter, other police personnel got up and took position. Despite his grievous injury, Shri Toppo pulled out the arrow, continued firing on the Jarwas till they were scared away.

In the encounter Shri Mahanand Toppo, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i), the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 24-4-97.

S. K. SHERIFF, Jt. Secy.

No. 35-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Government of Gujarat :—

Name and Rank of the Officers

(Late) Shri Raman Prakash (IPS)
Addl. Supdt. of Police
Distt. Panchmahal
Gujarat.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 2-5-1995, District SP, Panchmahal received information that a panther was on a rampage in village Taramkanen and had already injured four villagers. He was entrenched in a house and the inmates of the house were trapped inside. Shri Raman Prakash, Addl. SP volunteered himself to take up the job and rushed to the village. After reaching there, he came to know that one lady was entrapped in the loft of the room in which the panther had taken position. After quick deliberation, the police party succeeded in pulling out the lady by removing sometiles from the roof. Thereafter, all possible efforts were made to get the panther out of the room into the cage placed at the door. However, the panther instead of taking the door, jumped out of the room through the gap made to put out the lady. Seeing this, the police personnel fired on the panther but he escaped unhurt. The Panther first made a dash towards the forest but suddenly turned towards the village and attacked two policemen. Seeing the panther attacking the police, Shri Raman Prakash, who was standing on the other side of the house, dashed with alacrity to save them and asked his body-guard to follow him. On reaching there, he found that policemen were shouting for help. He immediately fired at the panther with his service revolver. When he tried to fire second round, his pistol got stuck-up. After being injured, the panther had become ferocious and pounced upon the District SP and Addl: S.P. . The Distt. S. P. managed to save himself but stumbled and fell down. Shri Raman Prakash saw that the animal was charging towards the SP, he charged with greate speed to save him. Seeing this, the body-guard of Shri Raman Prakash fired two rounds on the animal but one of the bullets pierced the lungs of Shri Prakash and he died. A brave officer made a supreme sacrifice in the maintenance of the highest tradition of the Service.

In this encounter Shri Raman Prakash, Addl. Supdt. of Police, Dt. Panchmahal displayed conpicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from from 2-5-1995.

S. K. SHERIFF, Jt. Secy.

No. 36-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Government of Haryana :—

Name and Rank of the Officers

Shri Mohinder Singh,
A. S. I., Naggal P. S.,
District : Ambala.

(Late) Shri Vijay Bhan,
District : Ambala.
Constable, Naggal P. S.,

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the intervening night of 14 & 15th Dec, 1995, ASI Mohinder Singh and Constable Vijay Bhan noticed a tractor trolley carrying five persons at Materi Chowk coming from Hisar Side. ASI Mohinder stopped the tractor and directed Constable Vijay Bhan to check the trolley, one of the persons sitting in the trolley fired upon Const. Vijay Bhan while other persons snatched his Carbine and Magazine. He scuffled with the culprits to get back his weapon but collapsed because of serious bullet injuries. Taking stock of the position, ASI Mohinder Singh took position and fired on the culprits. Inspite of being seriously injured in the exchange of fire, ASI Mohinder Singh continued firing and chased the culprits. But the culprits managed to escape alongwith taking advantage of the darkness. The following explosive material were recovered from the trolley :—

(i) 54 packets of charcoal-based RDX cakes weighing 16.5 Kg.

(ii) Long PTN field Wire about 45 meters.

(iii) Spades

(iv) Two human Bomb Jackets, and other instruments.

In this encounter Shri Mohinder Singh, ASI and Shri Vijay Bhan, Constable displayed conspicuous gallantly, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 15-12-1995.

S. K. SHERIFF, Jt. Secy.

No. 37-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of the Government of Haryana :—

Name and Rank of Officers

Shri Ram Gobind,
Dy. Supdt. of Police,
Tohana.

Shri Sube Singh, (Posthumous)
Asstt. Sub Inspector of Police,
Hissar.

Shri Balbir Singh,
Constable,
Hissar.

Shri Rattan Singh,
Constable,
Hissar.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 30-3-93 information about presence of dreaded terrorist Balwinder Singh @Bullet alongwith his gang was received. About 4.50 P.M., SP, Hissar together with force, bullet proof gypsy and tractor reached near Kangoi Nala. Three partres were formed - DSP, Fatehabad together with SHO, Fatenabad and SHO Tohana covered left front; SP; Ops. alongwith ASP and Commandos covered the right front and Shri Ram Gobind alongwith personal staff in two bullet proof gypsies were at the rear and gave covering fire to the gypsies. Meanwhile five persons were seen running towards fields. The main attacking party made extended formation and started chasing the terrorist and returned fire on the terrorists. Firing from LMG was opened to slow down the running terrorists. The chase continued for about 4-5 Kms. In the mean time the police vehicles took position in such a way that the terrorists were sand-witched in the fields and the roads. Finally the terrorist, aBlwinder Singh took position at a corner of the field and restricted the movement of into a bullet proof gypsy which got stranded and police parties by firing constantly in bursts. S. P. Hissar got SHO Fatehabad joined with Shri Udey Singh Inspector go Police parties by firing constantly in bursts. S. P. Hissar and standard and while men were tying to push it out, bursts of fire came. Shri Udey Singh on having located the actual position of the terrorist asked the other member of the party to duck. Const. Balbir Singh taking risk of his life, rushed inside the gypsy and rammed into the terrorists. Inspr. Udey Singh and Const. Rattan Singh who were inside the gypsy were fired upon by the terrorists. The bullet penetrated into the gypsy resulting in injuries to Inspr. Udey Singh and Const., Driver Balbir Singh. Const. Balbir Singh jumped out of the gypsy, while Const. Rattan Singh confronted the two terrorists. In the meantime Shri Ram Gobind in order

to save the injured drived came in line of fire of the terrorists and was fired upon but undeterred Shri Gobind returned the fire and at great risk of life fired at Balvinder Singh. ASI Ajaib Singh also fire at him. In the encounter Balvinder Singh @Bullet and Tarsem Singh were killed. ASI Sube Singh,, who got injured in the firing succumbed to his injuries. The body of another terrorist Sukhdeep Singh was recovered the next day while two other terrorists managed their escape in the darkness. Balwinder Singh was involved in 41 mudrer cases killing more than 100 innocent people and carried a reward of Rs. 5 Lakhs on his head. One rifle, one .22 USA made mouser, one 7.62 rifle, one A. L. R. rifle, one .38 bore revolver and huge quantity of ammunition, were recovered from the scene.

In this encounter S/Shri Ram Gobind, DSP, Sube Singh, ASI, Balbir Singh and Rattan Singh, Constables displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequeutly carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 30-3-1993.

S. K. SHERIFF, Jt. Secy.

No. 38-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the the Government of Himachal Pradesh :—

(Late) Shri Mast Ram
Head Constable
District Kangrá.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 24-1-1997, three desperados armed with pistols made an attempts to rob a petrol pump near village Thakurdwara in Palampur Sub-Division. They snatched the scooter of one Gian Singh which they abandoned near Bus Stand. After abondoning the scooter, the three culprits ran towards a lane below the main road. In the meantime, H. C. Mast Ram who had just returned to te Police Station from Court work came to know of the attemped robbery and the feeling culprits, rushed out of the Police Station to help his colleagues in the chase of the culprits. Showing exemplary readiness and devotion to duty and without waiting for getting arms and ammunition, he immediately set out to chase the robbers by following a shorter route which intercepted the lane taken by the culprits. He was able to trace the culprits not far away from the PJolice state but when he tried to grapple and apprehended one of them, one of the miscreants opened fire killing him on the spot. Shri Mast Ram made the supreme sacrifice at the altar of duty.

In this encounter Shri Mast Ram, Head Constable, Distt. Kangra displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with eect from 24-1-1997.

S. K. SHERIFF, Jt. Secy.

No. 39-Pres/98.—The President is pleased to ward the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of Govt. of Jammu & Kashmir :—

Name & Rank of the Officer

Shri Farooq Khan
Superintendent of Police

Shri R. K. Jalla,
Dy. Supdt. of Police
Srinagar.

Shri C. S. Bhau,
Inspector
Srinagar.

Shri Amanullah Khan
Sub-Inspector
13th Bn., JKAP.

Shri Balvinder Singh
Constable
8th Bn.,
JKAP.

Shri Mohd Yaqoob
Constable.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 24-3-1996 some militants of outlawed JKLF outfit rushed into a place of worship in the Valley alongwith their arms. In order to clear the place from the terrorist, it was decided to launch an operation by SOG of J&K Police, Srinagar. The SOG Srinagar which was working under the command of Shri Farooq Khan, SP (OPS) Srinagar was issued strict guidelines that during the conduct of the operation no harm should be caused to the place of worship. On 30th March, 96 Shri Khan, SP (OPS) after making proper plans and preparation cordoned the two targetted after makig proper plans and preparation cordoned the two hide outs. After surrounding both the hide-outs which were located at the distance of 60/70 meters from the place of worship, repeated announcements were made asking the militants to come out of hide-outs and surrender before the Police authorities. These repeated calls led to the surrender of three holed-up militants. Three ladies and three children who were being kept in the camp as hostages also availed of this opportunity and came out. But the hard liners among the holed-up militants opened fire at this juncture to prevent any one among them to come out. Showing great restraint, the Incharge of the Operation again asked them to desist from firing as this could lead to their death. But the militants continued to fire with their automatic weapons. Thereafter, the raiding party was divided into two groups. One party was to attack the hide-out with the help of grenades and rifle fire to break and the second one was to provide covering fire from tww sides, and to draw the attention of the militants towards them. The first party led by Inspr. G. B. Bhatt was detailed to provide cover fire to the attack party. When the 1st party reached the target they lobbed in a couple of grenades. The grenade explosion killed two militants on spot and dislodged the others from their vanatage positions and forced them to seek cover in the other parts of the house. Shri Singh alongwith his associates, rushed inside the hideout withouf caring for his personal security. Shri Khan and his party consisting of S/Shri R. K. Jhall, Dy SP Balwinder Singh, Const., G. S. Bhau, Inspr., Amanullah Khan, SI and Mohammad Yaqoob, Constable went into the hide-out, took the militants by surprise and before they could cause any casualnty to the raiding party, they were killed in an exchange of fire.

After the destruction of the first hide-out, attention was focused on second hide-out which was well fortified. The holed up militants were again asked to surrender but they replied with grenades and firing. The eastern flank led by Shri R. K. Jalla, under the instruction of Shri Khan joined with the team and helped them in securing that side as well. Shri R .K. Jalla Dy. SP assisted by Shri G. S. Singh, Inspr. and others taking the cover of moving Gypsy reached close to the house and attacked with barrage of Chinese grenades and rifle fire. The grenade explosion destroyed the engine of the Gypsy making it immobile and the militants fire pinned down the raiding party. After prolonged gun-battle, the combined efforts of the three teams results in the destruction of militatnts strong hold and elimination of the all the 19 mltants hlding there. 10 AK rifles, one sniper rifle, one Marchine Pistor, orte Rocket launcher, one Rocket, one 9 mm SAF Carbone, 3 303 rifles, 15 wireless sets(, one chinese grenades, 24 AK magazines, 155 round of AK, 8 Chinese pistols and one revolver recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Farooq Khan, SP, R. K. Jalla DSP, GS Bhau, Inspector, Amanullah Khan, SI, Balvinder Singh and Mohd. Yaqoob, Constables displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 24-3-1996.

S. K. SHERIFF
Joint Secy. to the President

No. 40-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of the Government of Maharashtra :—

Name and Rank of Officers

(1) Shri Vilas Bhikaji Marathe, Inspector

(2) Shri Milind Bhikaji Khetle, Sub-Inspector

(3) Shri Abdul Rauf Gani Shaikh, Constable

Statement of services for which the decoration has been awarded

After receiving reliable information on 16-8-96 about the arrival of some dreaded gangsters, a squad headed by Inspector Marathe was constituted to nab them. Shri V. B. Marathe, Inspector alongwith S. I. Khetle and Constable Sheikh laid a trap on the site. At about 2.50 p.m., three persons were seen walking towards the site. They were asked by the police party to surrender but instead, the gangsters opened fire on them injuring S. I. Khetle. Finding no other alternative, the trio replied the fire. In order to escape, the criminals entered in to a narrow lane continuing firing on Police. In their chase, they were also joined by Inspector Deshmukh and S. I. Parmar who opened fire on the criminals. In the cross firing, Suresh Yande and Chandrashekhar fell to the police bullets and were declared dead in the hospital. However, the third criminal managed to escape. One pistol with three live rounds was recovered from the gangster Suresh Yande.

In this encounter Shri Vilas Bhikaji Marathe, Inspector, Shri Milind Bhikaji Khetle, SI and Shri Abdul Rauf Gani Shaikh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 16-8-96.

S. K. SHERIFF
Joint Secy. to the President

No. 41-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of the Government of Manipur :—

Name and Rank of Officers

Shri N. Jotin Singh
S. I. of Police, Imphal.

Shri K. Devan Singh,
Naik, Imphal.
(Late) Shri L. Shyamsunder Singh,
Constable, Imphal.

Shri S. Gyanil Singh,
Constable, Imphal.

Shri A. Gobendro Singh,
Constable, Imphal.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 11-7-96, Shri N. Jotin Singh, Sub-Inspector received information that some hardcore PLA activists were holding a meeting in a house at Nambol Thiyam Awang Leikai. He immediately formed a party (including S/Shri D. Devan Singh, L. Shyamsunder Singh, S. Gyanil Singh and A. Gobendro Singh). The police party rushed to the suspected place. On reaching there, they immediately cordoned off the suspected area and covered all probable escape routes. In the meantime Constable L. Shyamsunder Singh noticed one youth stealthily sneaking into a house. He informed about this to his Commander and alongwith Naik K. Devan Singh rushed towards the house and warned the inmates to surrender. However, except some of the family members, the suspecetd person did not come out. On this S/Shri L. Shyamsunder Singh and K. Devan Singh entered the house and started search. Suddenly the suspected person fired several rounds from one of the corners of the house. One of the bullet hit Constable L. Shyamsunder Singh on his fore-head and he died on the spot. Seeing this, Naik K. Devan Singh took position and opened fire from his AK-47 Rifle. The surgent alongwith the places where the firing was taking place to persuade Devan Singh chased the criminal in the midst of exchange of fire and the criminals ran in different directions. One of them, who was running towards the southern side was chased by SI N. Jotin Singh. He warned him to surrender but he kept on running. Finding no alternative to stop the criminal, SI Jotin Singh fired on the criminal, as a result of which, the criminal received bullet injury and died. He was later identified as Aurbam Thoiba, a hard-core member of PLA.

2. In the meanwhile, the other two insurgents, who were running towards west side, were chased by NK Devan Singh, Constable S. Gyanil and Constable A. Gobendro Singh. The running criminals did not pay any heed to the repeated warnings to surrender but kept on firing on the police personnel. The police personnel also opened fire and in the encounter Constable Gobendro Singh received bullet injury. One of the criminals was also hit by bullet and died on the spot. He was later identified as Maibam Kesho, a self styled 2nd Lt. of PLA. One .38 bore revolver and 4 live rounds were recovered from the dead criminal. The other criminal managed to escape.

In this encounter S/Shri N. Jotin Singh, S. K. Devan Singh, Naik Shyamsunder Singh, Gyanil Singh and A. Gobendro Singh, Constables displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 11-7-1996.

S. K. SHERIFF
Joint Secy. to the President

No. 42-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Government of Nagaland :—

Name and Rank of Officer

Shri M. V. Chakhesang,
Supdt. of Police,
Kohima.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 5-3-1995 a convey of 16th Bn. Rashtriya Rifle was passing through the capital town of Kohima along the NH-39 on its way to Dimapur from Manipur. The head of the convey had reached the outer point of the capital town towards Dimapur and the tail of the convey was still at the outer end of the capital town towards Manipur. It was about 1.10 P.M. It was a Sunday and the inhabitants of the capital town were out on the street returning from Church services and visiting friends. Men and Officers of the 16th Rashtriya Rifle travelling in the convey started firing indiscriminately. The convey was on a stretch of 5 K. Ms from the tail end to the head end. The firing was taking place all along the stretch from the tail end to the head end. At that time Shri M. V. Chakhesang was attending an emergency co-ordination meeting with senior Army, Para-Military and Police Officers at the J. C. C. room located in the Police Headquarters. They heard first firing sound eminating from a point near the Police point located in front of the Kohima S. P. office. The first firing was followed immediately firing from all along the stretch of the convey. On hearing the firing Brig. Ramesh Nagpal DIG A. R. who was also present in the meeting with the S. P. left for the place from where the first firing was heard. Shri Chakhesang after informing DGP, Nagaland about the incident on telephone also proceeded towards the site. On his way Shri Chakhesang saw some personnel travelling

with Brig. Nagpal who were injured by the said firing being evacuated with blood marks on their body. On seeing the officers and men of 16th R. R. indulged in indiscriminate firing killing and injuring civilians on the street, requested the men and officers of the 16th R. R. to stop firing which was to no avail initially. Realising that many civilians would be killed and injured he decided to go round along the place where the firing was taking place to persuade the men and officers of the 16th R. R. to stop firing in a situation where a group of Security Force personnel were indulged in indiscriminate firing with agitated temper, it was indeed a serious risk. Shri Chakhesang decided to take and he went round telling the men and officers of the 16th R. R. to stop firing. Simultaneously he also started evacuating the civilians who were hit by the bullets and were lying along the road writhing in agony. He was later on joined by DGP, Nagaland and succeeded in persuading the men and officers of the 16th R. R. indulged in indiscriminate firing to stop firing which would have caused casuality and injury to many civilians.

In this encounter Shri M. V. Chakhesang, Supdt. of Police, Kohima displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 5-3-1995.

S. K. SHERIFF
Joint Secy. to the President

No. 43-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Government of Nagaland :—

Name and Rank of Officer

Shri S. S. Tripathy,
Addl. Supdt. of Police,
Mokokchung.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 1-1-1994 at about 14.15 hours an oil Tanker brought 10,000 liters of Petrol to Petrol Pump, Mokokchung which caught fire while trans filling the petrol into the under-ground tanks. As per the direction of SP, Mokokchung, Shri S. S. Tripathy, Addl. SP rushed to the place of incident. On reaching there around 14.25 hours, he noticed that the tanker was burning and might explode any moment. Fire fighting staff were not well equipped to control this type of fire. The Mobile Oil drums lying nearby also caught fire and started exploding one by one. Visualising the situation, Shri Tripathy directed the available policemen to inform the nearby residents to evacuate immediately. Shri Tripathy decided that if the burning tanker could be extricated from the depot area then it would be possible to prevent the under-ground tanks from exploding. By this time CRPF personnel also reached there in a truck. It was decided to use the truck to tow the burning tanker and pull it out from the depot area. Shri Tripathy unmindful of the risk of his life went near the burning and assessed how to pull it out. As the vehicle was in gear, Shri Tripathy borrowed a long coat from one of the CRPF jawans, got into the driver's cabin and put the gear into netural position so that the burning tanker could be pulled out. Noticing Shri Tripathy and some policemen entering the dangerous area, other jawans of police and CRPF advanced for help.

While the above operation was going on, it was reported that a wooden ladder connecting the depot area to the top lid of the under-ground petrol tank has caught fire. Shri Tripathy alongwith two policemen immediately went towards the back-side of the depot, climbed the wall alongwith his men and removed the ladder.

During the course of the pulling out of the burning tanker it was observed that the over-ground valves of under-ground tanks had caught fire. Shri Tripathy motivated the youngmen watching the fire-fighting exercise for help. On this about 150 persons including civilians, CRPF and police personnel controlled the fire with sand from a nearby construction site. CRPF/Police personnel succeeded in pulling out the tanker from the depot area.

In this encounter Shri S. S. Tripathy, Addl. Supdt. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 1-1-1994.

S. K. SHERIFF
Joint Secy. to the President

No. 44-Pers/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Government of Nagaland :—

Name and Rank of the Officer

(Late) Shri M. B. Pradhan,
Head Constable,
Special Branch,
Kohima.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 21-3-1997, while Havildar M. B. Pradhan was on security duty, guarding the Cash Room in the Office of DIG (CID), two unknown miscreants came to the office at about 4.45 p.m. The miscreants entered the office room of DIG (CID) where Shri K. K. Banik, Office Superintendent had gone for a phone call. After entering the room, one of them directed Shri Banik to sit down pointing revolver at him. Havildar Pradhan also entered the room, took out his revolver and tried to control the miscreant. Finding no other alternative to control, the miscreant who was holding a revolver, Shri Pradhan fired from his revolver and killed him. In the meanwhile, the other miscreant who was also carrying a revolver, fired at Havildar Pradhan injuring him seriously and escaped. Both the injured persons were immediately rushed to Hospital but they were declared dead. One country-made .38 bore revolver alongwith six cartridges were recovered from the dead criminal, who was later identified as Chumpenthung Lotha of NSCN (K).

In this encounter Shri M. B. Pradhan, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 21-3-1997.

S. K. SHERIFF
Joint Secy. to the President

No. 45-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Government of Rajasthan :—

Name and Rank of Officers

Shri P. C. Neola,
Dy. SP,
Distt. Dholpur.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 18-1-1997 at about 2.30 PM, Sh. P. C. Neola, Dy. SP received information that Dacoit Gopal Kachi with his associates was coming to village Khan Surjapur. He immediately informed SP, Dholpur about the presence of the dacoit gang with request for re-inforcements, and also intimated Bharatpur District police authorities. Shri Neola alongwith 2 Head Constables and 7 Constables rushed to the village. Shri Neola and his party members took posi-

tion near a godown on the outskirts of the village. At about 7.30 PM, they noticed 5-6 persons approaching the village in moonlight. Shri Neola challenged them to disclose their identity but they replied with indiscriminate firing. This was reciprocated by the police. By this time SP, Dholpur also reached the spot. In the meantime, Shri Neola noticed a member of the gang crawling towards a vantage position opposite the godown. On this, Shri Neola ran and took position at this point and started firing from there to prevent the dacoits from taking over this vantage position. Thereafter, he was joined by two of the constables. The gangsters opened another volley of fire on the police party. Then Shri Neola came out in the open and launched a frontal attack on them. The police team thereafter launched their final attack. The exchange of fire continued for about one hour. Thereafter, firing from the dacoit's side stopped. On search 3 dead bodies of dacoits were recovered, two were later identified as Gopal Kachi Gang leader (Involved in large number of kidnappings, dacoities, robberies, extortions and murders), his brother Vijendra Kachi and Shiv Singh Jatav. However, other members of the gang managed to escape through the mustard fields. During search one 9mm carbine with 151 live cartridges, one .315 bore rifle with 17 cartridges, two 12 bore guns with 21 cartridges and 3 HE-36 hand-grenades were recovered from the dead dacoits.

In this encounter Shri P. C. Neola, Dt. Supdt. of Police, Distt. Dholpur displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowances admissible under rule-5, with effect from 18-1-1997.

S. K. SHERIFF
Joint Secy. to the President

No. 46-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of the Government of Uttar Pradesh :—

Name and Rank of Officers

Shri Shailendra Sagar,
Sr. Supdt. of Police,
Azamgarh.

Shri Lalta Prasad Tripathi,
Sub-Inspector,
Azamgarh.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 4-4-1990 at about 2210 hours, Shri Lalta Prasad Tripathi was informed by an informer that a gang of 6-7 dacoits armed with illegal weapons is planning to commit a dacoity in the house of Dr. Raideo Ram in Musepur area of Azamgarh town. Immediately on receipt of the information, Shri Tripathi alongwith the available police personnel rushed to the house of Dr. Ram by which time the dacoits had already positioned themselves inside the house and opened fire on the police party from a room on the western side of the house. Shri Tripathi immediately and with great alertness directed his personnel to take position and challenged the dacoits to surrender. Sensing the presence of police personnel outside the house, the dacoits shifted position to the northern side of the house and fired at the police party in the open. In the meantime Shri Tripathi and his party advanced cautiously and at great risk to their lives entered the western side room of the house and took position and fired at the dacoits in self defence and ordered his party to fire as well. Shri Tripathi sensing that the situation is beyond his control sent word for reinforcement. Shri Shailendra Singh, SSP on receipt of information rushed to the spot immediately, and, in the meantime Shri Ashok Kumar Srivastav, C. O. City, Azamgarh also reached the spot. Intermittent firing was going on from both the sides inside the house and the entry was posing a great threat to the lives of the reinforcement. No action was possible unless they reach the place where the police party was trapped. Shri Singh and Shri A. K. Srivastav, unmindful of the risk to their lives managed to reach the police party and took control of the situation. Shri Shailendra Singh disclosed his identity and challenged the dacoits to surrender but the dacoits responded by heavy fire on the police party from behind the doors of the room. The operation had become ticklish as the crowd from the highly populated area on one side and the passengers on the railway platform on the other posed a great threat as any quick action would cause great loss of lives and it was also not sure whether the family members of Dr. Ram were also trapped inside the house. Shri Shailendra Singh and his party were entrenched in a small area and came under direct fire of the dacoits who were well entrenched inside the house. This did not deter the police party and Shri Shailendra Singh ordered his party to open fire on the dacoits. The dacoits seeing themselves thoroughly surrounded, decided to escape under cover of heavy firing by climbing the stairs in the court yard of the house. Shri Shailendra Singh and Shri Ashok Kumar and Shri Tripathi with lightening speed fired at the fleeing dacoits and found their target as two of the dacoits fell dead while the other managed to make good their escape under cover of darkness. Of the two dead dacoits, one was identified as Ashok Singh a dreaded listed gang leader who was wanted in many heinous crimes while the other was identified as Ravindra Singh. Looted property including cash worth Rs. 4111/-, a long barrel .303 bore country made pistol and .303 bore country made pistol alongwith cartridges were recovered from the dead.

In this encounter Shri Shailendra Sagar, Sr. S. P. and Shri Lalta Prasad Tripathi, SI, Azamgarh displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 4-4-1990.

S. K. SHERIFF
Joint Secretary to the President

No. 47-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of the Govt. of Uttar Pradesh :—

Name and Rank of the Officers

Shri Ashok Kumar Singh Bhadoriya,
Constable,
45th Bn., PAC.

Shri Shiv Kumar,
Constable,
45th Bn., PAC.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 26-2-96, 45 Bn. PAC were deployed on combing operations in Bangtol and Shantipur areas of Kokrajhar (Assam). The operation parties devided in four groups each headed by one officer left for their destinations. At about 12.30 hrs when the party led by C. C. Hukam Singh in PAC truck was crossing a bridge at Bhurbhinali, some Bodo activists ambushed and blasted the vehicle. As a result thereof, C. C. Hukam Singh and seven others died on the spot. Const. S. D. Pathak was injured while Const. (Dvr) N. S. Yadav managed to escape from the scene but later on his dead body was recovered. Const A. K. Singh and Shiv Kumar some-how managed to escape and retaliated. Inspite of indiscriminate firing with automatic weapons from Bodo side the effective firing from these constables compelled them to flee. One LMG and One Sterling alongwith huge quantity of ammunition were recovered from the scene. As per local police one self styled Dy. Commander in Chief of the out law Organisation was injured and later on succumbed to his injuries.

In this encounter Shri Ashok Kumar Singh Bhadoriya, and Shri Shiv Kumar, Constables displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 26-2-1996.

S. K. SHERIFF
Joint Secretary to the President

No. 48-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of the Govt. of West Bengal :—

Name and Rank of the Officer

Shri J. N. Biswas, (Posthumous)
A. S. I. of Police,
P. S. Rajarhat,
North 24-Parganas.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 11-3-1995, ASI J. N. Biswas alongwith two Constables was on night patrol duty in a jeep in Chooto Chandpur, Bishnupur, Lawhati and Shikhurpur area of Rajarhat P. S. and another police party led by one Sub-Inspector with two Constables was also on night patrol duty at Kumar, Bhatinda and Rajarhat areas. While the party of Shri Biswas was patrolling at Lawhati areas, at about 0.45 hours (12-3-1995), they received information that a gang of dacoits numbering about 10—12 re-treated in a Green Tata mini-truck after committing dacoity in a Petrol Pump at Golabari. In the meantime, the party led by Sub-Inspector noticed the Tata truck running at high speed towards Lawhati. The SI immediately informed this to ASI Biswas on wireless and asked him to intercept the vehicle from that side. He, himself chased the vehicle. Shri Biswas with a view to intercept the vehicle, parked a lorry on the road and placed his jeep in front of the lorry to check the escape of dacoits. Shri Biswas asked the armed constables to take position behind the jeep and he himself took position on the left side of jeep with service revolver in his hand. At about 01.10 the Tata truck came at high speed & Shri Biswas without caring for his personal safety tried to stop the vehicle, but it did not stop. One dacoit fired at Shri Biswas and the vehicle speed past hitting Shri Biswas, as a result, he fell down on the road with pool of blood. The vehicle of dacoits then hit the jeep and an Electic Pole and escaped at high speed. Shri Biswas was rushed to Hospital, where he was declared dead.

In this encounter Shri J. N. Biswas, A. S. I., P. S. Rajarhat, North 24-Parganas displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 11-3-1995.

S. K. SHERIFF
Jt. Sec. to the President

No. 49-Pres./98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of Officers

Shri Ram Chander,
Sub Inspector of Police,
130 BN.,
Central Reserve Police Force.

Shri Birbal Singh, (Posthumous)
Head Constable,
130 BN.,
Central Reserve Police Force

Shri R. Nallan,
Naik,
130 BN.,
Central Reserve Police Force.

Shri K Muthu Kumar, (Posthumous)
Constable,
130 BN.,
Central Reserve Police Force.

Shri Satish Kumar,
W/C,
130 BN.,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 6-8-1995 at about 0040 hrs. a group of extremists armed with sophisticated weapons attacked the CRPF Camp located at Kalaigaon, Darrange Distt. and attempted to kill CRPF personnel and tried to loot arms and ammunition. There were three camp guards, one towards the road on the West and the other two guards patrolled on the other areas of the building. Shri K. Muthu Kumar, Constable patrolling the North side received first volley of fire from a godown about 50 yards away. He immediately retalaited with SLR. Though seriously wounded by bullet on his right arm, he alerted others by shouting and also continued to fire and crawled towards his platoon Commander's room. Hearing the firing and shouts Shri Birbal Singh, Head Constable brought the whole guard to stand engaged the militants on North side of the building. Finding strong resistance, the terrorists fired three rockets which pierced through the first wall and another one struck the second wall and its tail end grazed the head of Shri Birbal Singh. Undarterred with his grevous injury, Shri Singh directed Shri Nallan to use 2 Mortar. Without caring for his personal safety he continued to guide and command the guard personnel but in the process he was hit by a bullet and later on succumbed to his injuries. Shri R. Nallan took the Mortar but bombs were lying in the Kote which was located in a corner of the building which as well as approach were under heavy firing through open windows and doors by terrorists. Shri Satish Kumar, W/C with grave risk to his life crawled to the Kote amidst exchange of fire and took out the bomb and handed over to Shri Nallan, Shri Nallan, went to an open place and fired the bomb across the building on North side from where rockets were being launched by the militants. On the roadside Shri Ram Chander, SI, continued toward off the attackers. Shri Chander took his SLR and through a window engaged a attackers more ecectivey. He also flashed the message to his cov HQ for re-inforcement. Meanwhile he was also hit by a terrorist bullet but encouraged to his men raising the morale of his jawan. After about 45 minutes of pitched battle, the insurgents fled away under cover of darkness.

In this encounter Shri Ram Chander, SI, Shri Birbal Singh, HC, R. Nallan, NK, Shri K Muthu Kumar, Const. and Shri Satish Kumar, W/C, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 24-3-1996.

S. K. SHERIFF
Jt. Secy. to the President

No. 50-Pres/98.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Central Industrial Security Force :—

Name and Rank of Officer

Shri K. C. Roy, (Posthumous)
Naik,
Central Industrial Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 10-9-1996 S/Shri K. C. Roy and M. S. Kadam, were detailed to perform patrolling duty from 0500 hours to 1300 hours in 400 KV Sub Station in Assam. At about 0545 hours, they ran into an ambush of the militants inside the Station. Some bullets hit Shri Kadam at his back but he survived. Without caring for his personal safety, Shri

Kadam opened fire on the militants and caused grievous injury to one of the militants. Shri Roy came under the volley of fire. One bullet hit and pierced the lower portion of the wooden butt of his SLR injuring his knee. immediately Shri Roy returned the fire. Suddenly one militant, rushed out and fired from his stengun. Without caring for his life, Shri Roy rushed and grabbed the militant. During the scuffle Shri Roy managed to inflict bullet injuries in the militant's neck. Meanwhile another militant shot Shri Roy in his head. Both Shri Roy and militant fell on the ground. Shri Kadam engaged the other militants and did not permit them to over-run their small patrol party. The militant unable to face the stiff counter attack from S/Shri Roy & Kadam, fled away from the place of the incident dragging away the militant injured by Shri Kadam. Shri Roy was rushed to the hospital but he sacrified his life on the alter of duty. One Stengun, Two loaded magazine with live 25 Nos. of 9 mm rounds, one 9" dagger were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri K. C. Roy, Naik, CISF displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 10-9-1996.

S. K. SHERIFF
Jt. Secy. to the President

No. 51-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Central Industrial Security Force : —

Name and Rank of Officer

Shri M. S. Kadam,
Naik,
Central Industrial Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 10-9-1996 S/Shri K. C. Roy and M. S. Kadam, were detailed to perform patrolling duty from 0500 hours to 1300 hours in 400 KV Sub Station in Assam. At about 0545 hours, they ran into an ambush of the militants inside the Station. Some bullets hit Shri Kadam at his back but he survived. Without caring for his personal safety, Shri Kadam opened fire on the militants and caused grievous injury to one of the militants. Shri Roy came under the volley of fire. One bullet hit and pierced the lower portion of the wooden butt of his SLR injuring his knee. Immediately Shri Roy returned the fire. Suddenly one militant, rushed out and fired from his stengun. Without caring for his life, Shri Roy rushed and grabbed the militant. During the scuffle Shri Roy managed to inflict bullet injuries in the militant's neck. Meanwhile another militant shot Shri Roy in his head. Both Shri Roy and militant fell on the ground. Shri Kadam engaged the other militants and did not permit them to over-run their small patrol party. The militant unable to face the stiff counter attack from S/Shri Roy & Kadam, fled away from the place of the incident dragging away the militant injured by Shri Kadam Shri Roy was rushed to the hospital but he sacrifled his life on the alter of duty. One Stengun, Two loaded magazine with live 25 Nos. of 9 mm rounds, one 9" dagger were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri M. S. Kadam, Naik, CISF displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 10-9-1996.

S. K. SHERIFF
Jt. Secy. to the President

No. 52-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of the Indo-Tibetan Border Police :—

Name and Rank of Officers

Shri Pramod Sajwan, (Posthumous)
Sub-Inspector,
19th Bn.,
ITB Police.

Shri Kishan Ram, (Posthumous)
Constable G/D,
19th Bn.,
ITB Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded

Hardcore militants of Hizbul Mujaheedeen group were operating in Sarmi Bahik under P. S. Kokernag. Accordingly an operation was planned to nab the militants. On reaching there the assualt party searched the area but no activity/movement of militants was observed. On way back, a specific information was received that about five militants of Laskar-E-Toiba group of HUA (Harkat-UL-Ansar) were staying in Bahiks/temporary shed in thick forest in village Dandipura where Gujjar/Bakkerwal were also staying alongwith their cattle herds. The police party cordoned this disclosed location, some of the Gujjar alerted the militants who were hiding in the Bahiks. They started firing on the police party and sneaked in the nearby thick forest. The police party divided itself into three groups and chased the fleeing militants. Shri Parmod and Kishan Ram took position and ordered the others to provide covering fire. The militants finding themselves cordoned by the police party resorted to indiscriminate firing which was retaliated by the police party in self defence. During this encounter the militants launched grenades and heavy firing with their automatic weapons. Unfortunately a grenade splinters hit the forehead of S/Shri Sajwan and Kishan Ram who were inflicting firing from the cover. As a result of this, Shri Kishan Ram died on the spot and Shri Sajwan died enroute while being evacuated to the unit hospital.

In this encounter S/Shri Pramod Sajwan, Sub-Inspector and Shri Kishan Ram, Constable, 19th Bn., ITBP displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 6-7-1996.

S. K. SHERIFF
Jt. Secy. to the President

No. 53-Per/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Assam Rifles :—

Name and Rank of Officer

Shri Nain Singh,
Naib Subedar,
Assam Rifles.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 10th August, 1996 at 0200 hrs. Shri Nain Singh led a platoon for carrying out seek encounter and search operation in village Wurapash, North Srinagar. At about 0830 hours when the platoon commenced search of main village, it was fired upon by militants. Shri Singh and his party chased the militants who rushed inside a three storeyed concrete house and fired back. Shri Singh grasped the situation and cordoned the house in an effective manner and engaged them by return fire. He also requested the Coy. Commander for re-inforcement. On 11th August, at about 1000 hours Shri Singh and local villagers asked the militants to surrender which was not heeded to by the militants. The house was set on fire by the villagers. When the fire started spreading to the upper floor, two militants tried to escape by jumping through a window in the back yard of the house. Shri Singh chased the militants and

shot dead the fleeing militant on the spot. In this encounter, five militants including 4 from Pakistan were killed. The following arms and ammunition were recovered :—4 AK-56 rifles, 1 pistol 9 mm with Magazine, 16 AK-56 Magazine, 222 rounds AK-56 Ammunition, 4 rounds snipper/PIKA, 2 Ammunition Pistol, 2 Radio set kenwood, 2 Explosives Device Circuits and some diaries and documents.

In this encounter, Shri Nain Singh, Naib Subedar, Assam Rifles displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 10-8-1996.

S. K. SHERIFF
Jt. Secy. to the President

No. 54-Pres/98.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

(Late) Shri P. H. Yadav,
Constable, 54 Bn.,
BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded

A BSF patrol party while crossing Batpura/Khanpura at 0820 hours on 16-6-96 noticed a militant who was about to lob a grenade on it. Before the militant could put out the pin of grenade, Constable Paramhans Yadav hurled himself on the militant and caught hold of him which resulted in hand to hand scuffle. Shri Yadav wrenched the grenade from him before the pin could be released. Constable A. K. Yadav who was following Shri P. H. Yadav, on hearing the sounds of grappling of his colleague rushed to his aid. Meanwhile other insurgents came up and under cover of houses and hills started firing towards the lane in which Shri P. H. Yadav was grappling with insurgent Shri A. K. Yadav immediately took position and fired back. In the process, the militant who was to lob a grenade was hit and fell down dead. Shri P. H. Yadav also got a bullet injury from the insurgent's fire and he also fell down and died. With additional re-enforcement, the BSF patrol party chased the insurgents through the village killing 4 more of them. 3 of the insurgents seeing that there was no escape threw down their weapons and surrendered to the BSF patrol. A few other militants managed to escape by taking advantage of built-up area, thick vegetation and supporting fire from hill features. The following arms and ammunition were recovered from the dead bodies of the killed militants :

(a) Sniper rifle with telescope fitted with AVD—1 No. foreign made.
(b) Sniper rifle magazine—1 No. foreign made.
(c) Sniper rifle Amn—6 rds. foreign made.
(d) AK 56 series rifles—2 Nos. foreign made.
(e) Magazines AK 56 rifles—10 Nos. foreign made.
(g) Pistol magazine—1 No. foreign made.
(f) AK series Amn—132 rds foreign made.
(h) Pistol amn—8 rds foreign made.
(i) Wireless sets (made in Japan)—2 Nos. foreign made.
(j) Grenade—5 Nos. foreign made.
(k) Detanator electric—4 Nos. foreign made.

Subsequently on search of the entire area, 30 Nos. of EPCs of AK series amn/sniper rifle were recovered from the houses from where the militants had fired.

In this encounter Shri P. H. Yadav, Constable, 54 Bn., displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 16-6-1996.

S. K. SHERIFF
Jt. Secy. to the President

No. 55-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of Officer

Shri Laxmi Narayan,
Constable,
6 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 20th Jan., 1997 a patrol party received information regarding the activities of a dreaded militant named Ismail who used to visit his fiancee in village Narupura (J & K). When the party reached the fiancee's house, they noticed some suspicious movement in the adjacent house. The party cordoned the house. As the search was on, Shri Laxmi Narayan, Constable climbed upto the attic of the house with the help of ladder. The militant who was hiding behind a wooden plank propped up & opened fire on Shri Narayan, who got bullet injuries on left arm & left side of abdomen. Without caring for his personal safety he kept on firing on the militant with his right hand till the militant was seriously injured. The bullet hit the militant who by then fell down from the attic to first floor. Other BSF personnel also fired on the dreaded militant. During the fire, the grenade which was kept by the injured militant in his pocket also got exploded and the injured militant was killed on the spot.

One AK-56 Rifle, 03 magazines, 62 rounds, 03 small diaries, 03 Audio Cassettes, some damaged photographs and negatives were recovered from the place of incident.

In this encounter Shri Laxmi Narayan, Constable, 6 Bn., Border Security Force displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 20-1-1997.

S. K. SHERIFF
Jt. Secy. to the President

No. 56-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officers

Shri A. K. Yadav,
Constable, 54 Bn.
BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

A BSF patrol party while crossing Batpura/Khanpura at 0820 hours on 16-6-96 noticed a militant who was about to lob a grenade on it. Before the militatnt could put out the pin of grenade, Constable Paramhans Yadav hurled himself on the militant and caught hold of him which resulted in hand to hand scuffle. Shri Yadav wrenched the grenade from him before the pin could be released. Constable A. K. Yadav who was following Shri P. H. Yadav, on hearing the sounds of grappling of his colleague rushed to his aid. Meanwhile other insurgents came up and under cover of houses and hills started firing towards the lane in which Shri P. H. Yadav was grappling with insurgent. Shri A. K. Yadav immediately took position and fired back. In the process, the militant who was to lob a grenade was hit and fell down dead. Shri P. H. Yadav also got a bullet injury from the insurgent's fire and he also fell down and died. With additional re enforcement, the BSF patrol party chased

the insurgents through the village killing 4 more of them. 3 of the insurgents seeing that there was no escape threw down their weapons and surrendered to the BSF patrol. A few other militants managed to escape by taking advantage of built up area, thick vegetation and supporting fire from hill features. The following arms and ammunition were recovered from the dead bodies of the killed militants :

(a) Sniper rifle with telescope fitted with AVD—1 No. foreign made

(b) Sniper rifle magazine—1 No. foreign made

(c) Sniper rifle Amn—6 rds. foreign made

(d) AK 56 series rifles—2 Nos. foreign made

(e) Magazines AK 56 rifles—10 Nos. foreign made

(f) AK series amn—132 rds. foreign made

(g) Pistol magazine—1 No. foreign made

(h) Pistol amn—8 rds. foreign made

(i) Wireless sets (made in Japan)—2 Nos. foreign made

(j) Grenade—5 Nos. foreign made

(k) Detanator electric—4 Nos. foreign made.

Subsequently on search of the entire area, 30 Nos. of EFCs of AK series amn/sniper rifle were recovered from the houses from where the militants had fired.

In this encounter Shri A. K. Yadav, Constable, 54 Bn., Border Security Force displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 16-6-1996.

S. K. SHERIFF, Jt. Secy. to the President

No. 57-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officers

Shri Shyam Bihari Singh
Subedar,
162 Bn. BSF.

Shri V. K. Arya
Sub-Inspector
162 Bn. BSF.

Shri Subash Chander Kalai
Naik
162 Bn. BSF.

Shri Ashok Kumar
Constable,
162 Bn. BSF.

Shri Swinder Singh
Constable,
162 Bn. BSF.

Shri Rajveer Singh
Constable,
162 Bn. BSF.

On an information that on insurgent, injured in an early encounter was hiding in Kumnari village, a detachment was detailed on 4-7-96 to search the area. On approaching near the hide out Shri S. B. Singh split up his detachment and sent a scout party ahead to move under cover and to try and locate the cave where the militants were hiding. The scout carefully observed the movement of the sentry which gave an indication that the cave was nearby. On getting the information from the scout, S/Shri S. B. Singh and V. K. Arya spread out the main party to see that the cave is covered While the party was moving up, the sentry observed them and fired at them. Shri S. B. Singh, carefully advanced under cover and fixed his LMG pointing towards the cave. He put Constable Rajveer Singh on the MMG and told him to fire into the cave, one round at a time and not to leave his position. He then positioned two LMGs manned by Constable Swinder Singh and Ashok Kumar from the Eastern and Western side thereby preventing any escape from the cave. He directed Shri Arya and Naik S. C. Kalai to lob grenades into the cave. The grenades thrown by the BSF party exploded at the mouth of the cave. The militants retaliated by lobbing grenades on the BSF detachment and fired. Through out the night of the 4th, Shri Rajveer Singh with his MMG kept firing one round at a time at intervals into the mouth of the cave. This act of his alone prevented the insurgents from sneaking out of the cave under cover of darkness. On the morning of 5th July'96 at first light, Asstt. Commandant Rajesh Kumar with re-inforcements arrived. S/Shri Aryan and S. C. Kalai then moved forward and lobbed grenades and threw smoke candles into the cave. After the grenades exploded and the smoke candles were fired, there was no sound from inside the cave. The BSF party then shouted to the insurgents to come out. The insurgents replied and said they were coming with their hands up. However, three militants came running out of the cave firing from the hip. The BSF party, however, were alert and a burst from the MMG by Shri Rajveer Singh who was still at his position and bursts from the LMGs by S/Shri Swinder Singh and Ashok Kumar killed all the militants. Six dead bodies were found and 4 Nos. A. K. series Rifle, 1 No. SSG Rifle, 1 No. .303 Rifle, 2 Nos. Pistol, 1 No. Wireless set, 169 rounds AK Amn. 29 Rds SSG Amn. 16 Rds Pistol Amn. 3 Rds .303 Amn. 9 Nos Rds Hand grenade and 10 Nos AK Mags, 1 No. SSG Mags, 4 Nos Pistol Mags, 1 No. .303 Mag and Rs. 3,300/- Indian Currency, 2 Nos Wrist Watch and two numbers of Money purse were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Shyam Bihari Singh, Subedar, V. K. Arya, SI, Subhash Chander Kalai, NK, Ashok Kumar, Constable, Swinder Singh, and Shri Rajveer ingh, Constables, 162 Bn., Border Security Force displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 4-7-1996.

S. K. SHERIFF, Jt. Secy. to the President

No. 58-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Rajendra Singh,
Deputy Commandant,
50 Bn.,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 24th December, 1995 at about 1100 hrs, an information was received about presence of militants belonging to Hizbul Mujahideen in Village Bidar. A cordon and search operation was quickly planned & launched. Shri Rajendra Singh, Dy. Comndt. with his company proceeded to the village. Shri Singh divided his force into three groups. The search parties started searching the houses one by one. While they were doing so, group of insurgents who were hiding in abandoned houses opened fire on the search party. Shri Rajendra Singh and his party immediately took cover, located an abandoned house where the militants were holed up. The exchange of fire between militants and police party lasted for about three & half hours. Shri Singh, divided his party into different groups, one group was under himself, and the second group was led by Shri Raj Singh and Shri M. C. Tripathi, Head Constables. The party under command of Raj Singh took position on one side of the target house. The second party led by Shri Tripathy was sent in the other side to cover this house in the other direction Shri Rajindra Singh had the LMGs of two groups under Shri Raj Singh & Tripathi sited carefully on two flanks of the house. The insurgents inside seeing that they were surrounded and under fire, tried to dash out the house when

Shri Rajendra Singh entering the house. Shri Singh dodged a burst fire by HM militant Fayaz Yakhani. His return fire killed Fayaz Yakhani. Meanwhile, the covering fire from S/Shri Singh & Tripathi, succeeded in killing Mohd. Shafi Lone and Nissar Paddar and two other HM militants who were trying to escape from the house. 2-AK 56 rifles, 4 Magazine AK Rifles, 24 AK live rounds & 1 Hand Grenade were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Rajendra Singh, Dy. Comndt., 50 Bn., Border Security Force displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 24th December, 1995.

S. K. SHERIFF, Jt. Secy. to the President

No. 59-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officers

Shri S. P. Singh
4171
Dy. Commandant,
86 Bn, BSF.

Shri B. S. Dahiya,
664773350
Inspector,
86 Bn, BSF.

Shri A. S. Rawat,
86002325,
Inspr (G)

JAD(G) Team Magam (SGR)
Sagar Tamang
901915429,
Constable,
86 Bn, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 18th March, 1996 information was received by 86 Bn. BSF deployed at Khanniyar (J&K) about an HM insurgent called Abdul Rashid, code Pirna. On receipt of this information, a detachment commanded by shaitan Singh, Asstt. Commandant proceeded to the house where Abdul Rashid was reported to be hiding, surrounded the house and arrested him. Abdul Rashid on interrogation stated that one HM insurgent called Nazir Ahmed Zaroo was hiding in a house in Nowhatta. On this, a party headed by O. P. Hooda, Dy. Commandant and a detachment raided this house and apprehended Nazir Ahmed Zaroo and recovered one magazine of AK 47 and four live rounds. On further interrogation, Abdul Rashid stated that the house from where Nazir Ahmed Zaroo was apprehended was used by Dilawar, a Section Comdr of HM to hold weekly meetings on Wednesdays. The Commandant, 86 BN, BSF made an OPs plan and detailed S. P. Singh, Dy. Commandant alongwith 3 SOs and 20 ORs to cordon the house after the HM members had assembled. Before the cordon could be positioned, the insurgents who were inside opened fire on the BSF party from all sides.

2. Shri S. P. Singh, managed to enter an abandoned adjacent house and the cordon party took position around the target house (three storyed), Shri Singh further divided his group into three parties and positioned them on either side of the house. They kept on firing through the windows pinning the insurgents down. He himself alongwith Inspector Inder Singh, SI P. B. Dyani, HC Hanuman Singh, Constable Yashpal and Naresh Kumar entered the target house from the abandoned house by jumping through windows. Having entered the house, Shri Singh started clearing the rooms by throwing grenades and managed to sanitize the ground floor. The militants were on the first and second floods and they continued to fire on the cordon outside the house. Once the ground floor was cleared, Shri Singh positioned two of his personnel and under cover of their fire managed to dash up the stairs alongwith Inspector A. S. Rawat and Constable Sagar Tamang. The militant who was hiding in the first floor could not move because of covering fire and was shot down. After first floor was cleared, the second party consisting of Inspector B. S. Dahiya, Inspector A. S. Rawat, Inspector Rajesh Kumar, L/Nk Surender Singh, Constable Raj Kapoor and Constable Sagar Tamang, under covering fire charged upto the second floor and managed to shoot the insurgent who was still firing from the second floor.

3. The killed militants were identified as Nazir Ahmed and Sajjad Ahmed, both insurgents of HM. 2 AK-56 Rifles, 2 AK Magazines, 20 rounds of AK Amn, 1 No. 9 mm Pistol, 1 Magazine of Pistol, 6 rounds of Pistol and 19 rounds of EFCs of AK-56 Rifle were recovered.

In this encounter, Shri S. P. Singh, Dy. Comndt., Shri B. S. Dahiya, Inspector, Shri A. S. Rawat, Inspector (G) and Shri Sagar Tamang, Constable, 86 Bn., Border Security Force displayed conspicuous gallantry, courage, and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 18-3-1996.

S. K. SHERIFF, Jt. Secy. to the President

No. 60-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officers

Shri C. P. Ghildyal
Commandant (SG)
84, BN BSF.

Shri C. K. Singh,
Sub-Inspector(G)
84, BN BSF.

Shri Badan Singh,
Constable
84, BN BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On information on 19-5-96 about some insurgents hiding in a particular house in the area of Budshah Mohalla, Umar Colony, Srinagar, Shri C. P. Ghildyal, Commandant, 84 BN BSF and Shri Rajinder Mani, AD(G) left for the area. On reaching there, Shri Ghildyal planned cordoning of the area alongwith Shri V. Ramakrishnan, 21C, Shri S. K. Barua, DC and Shri P. J. Rao, Commandant, 12 BN, BSF. After the cordon was completed, family members of the suspected house were asked to come out. One person who came out turned out to be a Pakistani and he stated that 4 more Harkat-Ul-Ansar insurgents with weapons were inside the house. Shri Ghildyal sent in a party under covering fire to occupy the ground floor. The party succeeded in entering the ground floor and recovered some weapons. By then it was getting dark and it was decided to cordon the house for the night and resume operations at first light. Under the supervision of Shri Ghildyal and Shri P. J. Rao, weapons were sited around the building.

2. The militants were asked on the next morning to surrender with the help of a loud hailer. The announcement was treated with firing and two grenades thrown to the ground floor. SI(G) C. K. Singh and Const. Badan Singh who were positioned near the staircase luckily escaped being injured. They returned the fire and grenades with accurate fire and succeeded in injuring one insurgent. However, due to the grenade blast, the ground floor caught fire and the commando platoon occupying it was forced to withdraw. At this moment a RPG team headed by Shri D. K. Tripathi, JAD(G) was called and they fired several rockets into the second floor at a result of which the roof collapsed. Meanwhile the insurgents reached the first floor and started firing from all the windows in turn. The fire tender which was stationed was utilised to control the fire on the ground

floor and the 2nd floor. Shri C. K. Singh heading the Commando pl. managed to enter the ground floor again under covering fire. They were able to recover 2 dead bodies of militants which had fallen on the ground floor. However, the other insurgents had taken shelter in the store room and were continuously firing. Shri Ghildyal after studying the situation decided to use the RPG again. Shri Tripathi, again fired rockets into the store room and succeeded in making a hole. Shri Ghildyal alongwith Shri Singh and Const. Badan Singh under covering fire from his troops succeeded in moving towards the hole made in the store room wall and lobbed two grenades inside. The fire of the militants was silenced after explosion of the grenades. S/Shri C. K. Singh and Badan Singh then broke into the store room and threw one more grenade and succeeded in killing the remaining two militants.

3. In the above encounter, four insurgents were killed and one captured alive. In the entire operation, one Rifle 7.62 mm SLR, 4 Nos. Rifle. AK-47/56, 1 No. Mag. 7.62 mm SLR, 10 Nos. Mag. AK 47/56 Rifle, 19 Rounds live Ammn. 7.62 mm BDR, 230 Rounds live Ammn. AK Series and 3 Nos. of Hand Grenade were recovered during the encounter.

In this encounter Shri C. P. Ghildyal, Comndt., (SG) Shri C. K. Singh, SI(G) and Shri Badan Singh, Constable, 84 Bn., Border Security Force displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 19-5-1996.

S. K. SHERIFF, Jt. Secy to the President

No. 61-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of Officers

(Late) Shri Mohan Singh Koli,
4248, Asstt. Commandant,
145 Bn., BSF.

(Late) Shri Purushottam Singh,
900048003, Constable (Driver),
145 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 6th Feb., 1996 at about 1015 hours Shri Mohan Singh Koli of 145 Bn., BSF, deployed in Tripura North Sector on the Bangladesh Border left BOP Digiybari on the way to BOP Bogabil. The terrain was of low, thickly vegetated hillocks with the road winding between 2.5 Kms. short of Bogabil, when rounding a bend, Shri M. S. Koli's convoy of two vehicles ran into an ambush of insurgents. In the firing, Constable (Dvr) Purushottam Singh got a bullet on his Chest and Shri M. S. Koli on his left leg. Though injured, Const (Dvr) Purushottam Singh continued to drive and managed to take the vehicle out of the ambush area. The moment they had crossed the ambush area, Shri Koli, Asstt. Commandant, though injured, jumped out the vehicle and organised the escort party to fire back on the ambush. Climbing up on the hillocks, he deployed the escort party at vantage points and directed fire on the ambush. Seeing that the patrol party was re-organised, the insurgent group retreated and fled towards Bangladesh. Re-inforcements from Bogabil and Delchera BOPs evacuated. S/Shri Purushottam Singh and Koli who succumbed to their injuries in the hospital. S/Shri Purushottam Singh and Koli made supreme sacrifice in the maintenance of the highest traditions of the service.

In this encounter Shri Mohan Singh Koli, Asstt. Commandant, and Shri Purushottam Singh, Constable, 145 Bn., Border Security Force displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 6-2-1996.

S. K. SHERIFF
Jt. Secy. to the President

No. 62-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of Officer

Shri Umed Singh,
Deputy Commandant,
31 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 19th July, 1996 an information was received from SP (OPS) that a group of militants was hiding in village Haripura. Accordingly, a joint OPS was planned. The OPS party left at 200 130 hr, on foot for village Haripura. As the party reached near the bridge it was ambushed with heavy volume of fire. The parties in self defence retaliated and the firing from both sides continued for fifteen minutes. The area got illuminated, Shri Umed Singh could seen the place from where the militants were firing. Shri Singh immediately directed AC on Wireless to cordon area from other side and asked to provide covering fire. When the whole party was duck down under heavy fire from militants and fire from police side was not effective, Shri Umed Singh alongwith four jawans, moved to left side and reached towards the rear of the house from which the fire was coming. Shri Singh and his men took position in cover and in the meantime a militant got up and pointed his rifle towards him from a very close distance but before he could fire, Shri Singh with a lightening action fired a burst from his rifle which hit head. He groaned and buckled to the ground. The insurgent, however, noticed his movement and before he could reach his position, they fled away taking advantage of darkness and undulating terrain. The area was searched with the help of search lights. A dead body was recovered. The dead militant was later identified as Gulam Rasul Mir @ Tariq Mir, PTM Chief of Jamait-Ul-Mujahideen. 1 PMG, Re AK ser. 3 Mag. & 5 Rds. were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Umed Singh, Deputy Commandant, 31 Bn., Border Security Force displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 19-7-1996.

S. K. SHERIFF
Jt. Secy. to the President

No. 63-Pres/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of Officers

Shri N K N Panikar,
Commandant,
71 Bn.,
Border Security Force.

Shri Mahavir Singh,
Head Constable,
71 Bn.,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On information about the meeting of some insurgents in a house in village Pinglana on the 31st August, 1996, a cordon and search operation was planned under the command of Shri N. K. N. Panikar, Commandant. Six cordon

parties led by different officers were formed for the purpose. The team led by Shri Paniker raided the premises where the insurgents had gathered, whereas the other parties started approaching the target house. On sensing the cordon by the police, the militants started escaping by firing heavily from their automatic weapons injuring Shri Paniker on his left eye brow. Shri Paniker without caring for his injury took position near the mud wall and killed one militant. In the meantime, Shri Harminder Pal, while taking position in the available cover, fired on the running militants and succeeded in killing another insurgent. Another party led by Shri Mahavir Singh also came under heavy fire from the third militant. Shri Singh opened fire on militant in self defence. Shri Singh received bullet injury on his right thigh. Shri Singh while moving forward fired on the militant killing him on the spot. The killed militants were later identified as Mohd. Yusuf Wani, a coy Comdr, Shakil Ahmed Lone and Riyaz Ahmed Ganai, all of the Hizbul Mujahideen group. 2-AK 56-rifle, 1 AK 47 rifle, 7 Nos. Mag of AK 47/56, 1 No. Wireless Set, 2 Detonator, 1 Iron Grenade, 1 Stick Grenader & 37 Rds. live amn. of AK Ser. were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri NKN Paniker, Commandant and Shri Mahavir Singh, Head Constable, 71 Bn., Border Security Force displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 31-8-1995.

S. K. SHERIFF
Jt. Secy. to the President

No. 64-Pos/98.—The President is pleased to award the Police Medal for gallanty to the undermentioned Officers of the Border Security Force :—

NAME AND RANK OF OFFICERS

Shri Joginder Pal Singh,
Sub-Inspector of Police,
162 Bn., BSF.

Shri R. K. Dubey,
Lance Naik,
162 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 13-6-1996, a specific information was received about the presence of a group of insurgents in Kumari Village of Kellar (JK) region. An operation was planned by Comdt., after consultation with Coy Comdrs. The Operation was planned to commence simultaneously from Gajot/Malothi on southern end and Sarunda in the north under command of an Inspector. Four groups were formed one of which was under the command of Shri Joginder Pal Singh, Sub-Insp. The party headed by Shri Singh alongwith the Command HQ moved on the eastern side of the village. Some suspected houses enroute, were also searched by the party. This party had hardly moved towards the house when a sudden burst of fire saw them taking position in a terrace field. Firing from a nearby house was also opened up by militants. Shri Singh alongwith Shri R. K. Dubey, L/Naik making full use of field craft and using tactical moves reached in a parallel position to the firer of first house but in a downward terrace. Shri Singh alongwith Shri Dubey, climbed up the terrace, took position behind woodden logs and boulder lying there. As they got up, the militant also quickly noticed them and immediately tried to shift the position of his LMG at them. Shri Singh & Shri Dubey, opened fire on the militant when he was all set to fire at them. He was killed instantaneously. When the parties tried to nab the other militants, they escaped under the covers of thick growth of Forest. The killed militant was identified as Shahid Shah, Area Comdr, HM outfit and UMG-1, 12 Bore (SB Gun)-1, AK Magazines-2, UMG rounds-81, 1-Grenade & Rs. 700/- Indian Currency, were recovered.

In this encounter Shri Joginder Pal, Sub Inspector and Shri R. K. Dubey, L/Naik, 162 Bn., Border Security Force displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 13-6-1996.

S. K. SHERIFF
Jt. Secy. to the President

No. 65-Pos/98.—The President is pleased to award the Police Medal/Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of the Border Security Force :—

NAME AND RANK OF OFFICERS

Shri S. A. Alvi,
Commandant,
104, Bn. BSF.

Shri S. B. Mukherjee,
Asstt. Commandant (Tech),
104, Bn. BSF.

Shri Bansi Ram,
Inspector,
104, Bn. BSF.

Shri Gunpal Singh,
Constable,
104, Bn. BSF.

Shri Subhash Chandra,
Constable,
104, Bn. BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 30th Sept., 1995 at about 1720 hrs, Shri S. A. Alvi, Commandant received reliable information that some militants had gathered in the house of one Mohd. Shaban, resident of Maithan, Chanpura and they are likely to fire on the BSF Post at Maithan. Shri Alvi, immediately collected three parties by withdrawing personnel from his Coys and after studying the location of the house, deployed these three platoons to approach the house from three different directions. One party was led by him and the other two parties by Shri S. B. Mukherjee, AC (Tech) and Subedar Bansi Ram. Subedar (G) Nirmal Singh alongwith bunker vehicle personnel also formed the party under command of Shri Alvi. All these parties took position and spotting the movement of the BSF around the house, the militants started firing on all sides. Fixing two LMGs on either side on one flank of the house, Shri Alvi alongwith two escorts Constables Gunpal Singh and Virpal Singh managed to move close to the building and succeeded in lobbing a hand grenade into the house. When the grenade exploded, three militants jumped out of the house from the opposite side and tried to break out of the cordon. Shri Bansi Ram had meanwhile taken position and deployed his personnel under cover. Seeing the escape route blocked, the militants moved back. The BSF contingent continued firing and the Commandant succeeded in hitting one of the militants and his group killed the other two shortly thereafter. The killed militants were identified as Nazir Ahmed @ Tanveer, Mohd. Shaban Bhat @ Shablu @ Zahid and Mohd. Amin Mir @ Umar Sultan, all of Tehriq-Ul-Mujahideen. Nazeer Ahmed was a Regimental Commander. One civilian was also reported to have been killed during the fire by the militants. 2 AAK-56 Rifles, 2 AK Magazine, 3 grenades, 1 wireless set and several rounds of ammunition were recovered.

In this encounter Shri S. A. Alvi, Commandant, Shri S. B. Mukherjee, Asstt. Commandant (Tech), Shri Bansi Ram, Inspector, Shri Gunpal Singh, Constable and Shri Subhash Chandra, Constable, 104 Bn., Border Security Force displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule-4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5, with effect from 30-9-1995.

S. K. SHERIFF
Jt. Secy. to the President

MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 6th April 1998

RESOLUTION

Sub : Reconstitution of Advisory Committee for the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi.

No. WM-2 (6)/95.—In pursuance of rule 8 of the Indian Institute of Legal Metrology Rules, 1980 and in supersession of the Ministry of Food & Civil Supplies (Department of Civil Supplies) Resolution No. WM-2 (5)/88 dated the 28th June, 1988, the Central Government hereby reconstitutes the Advisory Committee of the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi consisting of :—

Chairperson

1. Secretary to the Government of India Department of Consumer Affairs or his nominee not being an officer below the rank of Joint Secretary.

Members

2. General Manager, Government of India Mint, Fort, Bombay or his nominee.
3. Dr. A. K. Chakrabarty, Advisor, Department of Science and Technology, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016.
4. Shri U. K. Jha, Addl. Legal Adviser, Ministry of Law & Justice, Room No. 424 "A" Wing, Shastri Bhavan, New Delhi.
5. Director, National Physical Laboratory, New Delhi or his nominee.

Industry Representative

6. Mr. N. K. Singhania, Managing Director, Shankar Wire Products, Deoghar, Bihar.

Nominated Members

7. Controller of Weights & Measures, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.
8. Controller of Legal Metrology, Madhya Pradesh, Bhopal.
9. Controller of Legal Metrology, Government of Assam, Guwahati.
10. Controller of Legal Metrology, Government of National Capital Territory of Delhi, Delhi.
11. Sh. B. Ram Kumar, Trainee Representative, C/o Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi.
12. Director General, Bureau of Indian Standards, New Delhi or his nominee.
13. Director, National Institute of Foundry and Forging Technology, HEC Colony, Ranchi.
14. Head of the Deptt. of Workshop, National Council for Education Research and Training, Mehrauli Road, New Delhi.

Co-opted Member

15. Controller of Accounts, Department of Consumer Affairs, New Delhi.

Ex-officio Member

16. Director of Legal Metrology, Deparment of Consumer Affairs.

Ex-officio Convener

17. Director, Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi.

RAJIV SRIVASTAVA
Addl. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 18th December 1997

Subject : —National Book Promotion Council—Setting up of.

No. F.7-12/93-BP-II.—The Minister of Human Resource Development, Department of Education, Government of India, had set up a National Book Development Board in 1967 to lay down guidelines for the development of the book industry in the context of the overall requirements of the country. The Board was subsequently reconstituted in 1970 and functioned until February, 1974. A new body called the National Book Development Council was set up on 15th September, 1983 and functioned till 30th September, 1986. The Council was last reconstituted on 06-11-1990 for a period of 3 years, i.e., upto 05-11-1993.

2. The Government of India have now decided to revive the erstwhile National Book Development Council and renamed it as National Book Promotion Council which will have the following constitution and functions :—

Functions of the Council

The functions of the National Book Promotion Council will be :—

(a) It is a forum to facilitate exchange of views on all major aspects of book promotion, *inter-alia*, covering writing/authorship of books; prices and copyright, habit of book reading; availability and reach of books for different segments of population for various age-groups in different Indian languages and the quality and content of Indian books in general; production, publication & sale of books.

(b) The views and suggestions emerging from the meetings of the Council will be documented by the Department of Education as inputs to be taken note of by concerned Ministries/Agencies of the Government of India, to the extent relevant in formulating their policies and programmes.

(c) For each meeting of the Council, the agenda and notes thereon will be prepared by the Department of Education on the basis of suggestions received from Members of the Council from time to time.

(d) The Council will meet once or twice in a year.

3. Headquarters and Secretariat of the Council

The Headquarters of the Council shall be at New Delhi and its Secretariat will be provided by the Book Promotion

and Copyright Division in the Department of Education, Ministry of Human Resource Development, Go . of India.

4. Compo tion of the Council

The National Book Promotion Council will have the following composition :—

(a) Chairman
Minister for HRD
Ministry of Human Resource Development.

(b) Vice-Chairman
Minister of State (Education).

(c) Authors/Writers—2

(i) Shri Subhash Mukhopadhyay,
Bengali Writer, Jnanpith Awardee,
5/B. Dr. Sarat Banerjee Road,
Calcutta-700029.

(ii) Shri Go. Ru. Channabasappa,
Former President, Kannada Sahitya Parishad, "Rama Jyoti", 1453, South End "A" Road, 9th Block, Jaya Nagar, Bangalore-560069.

(d) Heads of the Organisations (Publishers' Association)—3

(i) President,
Federation of Indian Publishers,
New Delhi.

(ii) Chairman,
Books, Publications & Printing Panel,
(Book Division) CAPEXIL'S New Delhi.

(ii) General-Secretary, Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha, Chenai.

(e) Expert in Copyright—1
Dr. R. V. Vaidyanatha Ayyar,
Former Additional Secretary (Education).

(f) Ex-officio Members—5

(i) Chairman,
National Book Trust,
New Delhi.

(ii) President,
Sahitya Akademi,
New Delhi.

(iii) Additional Secretary,
Deptt. of Education.

(iv) Joint Secretary (Incharge of Libraries),
Department of Culture.

(v) Joint Secretary (BP).
Member-Secretary.

5. Tenure of Members

The term of the National Book Promotion Council shall be three years. The tenure of the Chairman and each member of the Council, other than ex-officio members, shall normally be three years, unless a shorter or longer term is indicated; but he will be eligible for re-appointment. Where a Member of the Council becomes a member by reason of the office or appointment he holds, his membership of the Council shall terminate when he ceases to hold that office or appointment. All casual vacancies among the Members (other than ex-officio members) shall be filled by the authority or body who nominated the member whose place has fallen vacant and the person appointed to a casual vacancy shall be a Member of the Council for the residue of the term for which the person whose place has been filled would have been a Member.

6. Meetings and Sub-Committees

The Council shall meet at least once a year. The Council may set up Committees/Panels for specific purposes which may meet as frequently as required.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments and Administrations of Union Territories, all Ministries of the Government of India and their Departments, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, President's Secretariat, Planning Commission.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

RUDRAGANGADHARAN
Jt. Secy. (BP)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1998
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1998